अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

2. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) ने कालीसिंध तापीय (कोयला आधारित) विद्युत परियोजना (केएटीपीपी) को अपनी ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007-12) में सम्मिलित किया तथा केएटीपीपी की दो इकाइयों (प्रत्येक 500 एमडब्ल्यू) को स्थापित करने के लिए ₹ 4600 करोड़ की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जून 2007)। अन्तर्राष्ट्रीय निविदादाताओं की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित क्षमता को 1200 एमडब्ल्यू (2 × 600 एमडब्ल्यू) तक बढ़ा दिया (जून 2007)। निष्पादन लेखापरीक्षा में टीसीई कन्सल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने से लेकर संयंत्र की स्थापना के साथ, 2015-16 तक के निष्पादन को शामिल करते हुऐ केएटीपीपी की समस्त गतिविधियां समाहित हैं।

केएटीपीपी को स्थापित करना

डीपीआर में संयंत्र को स्थापित करने की लागत ₹ 5495.07 करोड़ परिकल्पित की गई थी (अक्टूबर 2007)। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा अनुमानित लागत को ₹ 7723.70 करोड़ तक संशोधित किया गया (मई 2011) तथा इसको पुनः संशोधित कर ₹ 9479.51 करोड़ किया गया (मार्च 2014) जिसको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया (अगस्त 2011 एवं अगस्त 2014)। केएटीपीपी की दोनों इकाइयां ₹ 9479.51 करोड़ की कुल लागत पर स्थापित की गई। संयंत्र को स्थापित करने की वास्तविक लागत अनुमानित लागत (₹ 4600 करोड़) से 106.08 प्रतिशत तक बढ़ गई। राज्य सरकार द्वारा ₹ 1895.90 करोड़ की समता पूंजी सहायता (20 प्रतिशत) प्रदान की गई तथा ₹ 7583.61 करोड़ के शेष कोषों (80 प्रतिशत) की व्यवस्था कम्पनी द्वारा पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी)/ वाणिज्यिक बैंकों से उधारी के माध्यम से की गई।

डीपीआर में अभिकल्पित लागत की तुलना में 'अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना' (ईपीसी) अनुबंध की लागत में बढ़ोतरी (₹ 1852 करोड़); जल संग्रहण प्रणाली (₹ 764.05 करोड़); रेलवे साइडिंग के निर्माण (मार्च 2015 तक ₹ 153.85 करोड़ एवं मार्च 2016 तक कार्य प्रगति पर था); तथा निर्माण की अवधि के दौरान ब्याज एवं वित्त लागत (₹ 1881 करोड़) के कारण अधिक हुई। इसके अतिरिक्त, स्टोर शेड/ हॉस्टल का निर्माण; फायर टेण्डर एवं डोजर; तृतीय पक्ष निरीक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के सहायक कार्यो को भी डीपीआर में अभिकल्पित नहीं किया जिसने परियोजना लागत को बढ़ाया।

परियोजना की स्थापना के लिए कार्यादेश बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, चेन्नई (बीजीआर एनर्जी) को मोलभाव कर ₹ 4900.06 करोड़ के मूल्य पर दिया (अक्टूबर 2008)। अनुबंध के मूल्य में 405 मिलियन यूएस डॉलर की आयातित आपूर्तियां एवं ₹ 3296.665 करोड़ की स्थानीय (भारतीय) आपूर्तियों/ सेवाओं को सम्मिलित किया गया।

प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि क्रमशः अक्टूबर 2011 तथा जनवरी 2012 थी। इकाइयां 31 तथा 42 माह की देरी के बाद क्रमशः 7 मई 2014 तथा 25 जुलाई 2015 को स्थापित

की गई। परियोजना की पूर्णता में देरी का कारण पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी (सात माह) तथा बीजीआर एनर्जी द्वारा विभिन्न मुख्य गतिविधियों की पूर्णता में समय अनुसूची की अनुपालना नहीं किया जाना था। मुख्य गतिविधियों यथा बॉइलर लाइटअप, ऐश हेंडलिंग प्लाण्ट, कोल हेंडलिंग प्लाण्ट एवं कूलिंग टावर इत्यादि को प्रथम इकाई के मामले में 18 से 41 माह एवं द्वितीय इकाई के मामले में 28 से 53 माह की देरी से पूर्ण किया गया। जनरेटर ट्रांसफॉरमर्स की आपूर्ति का कार्यादेश दोनों इकाइयों की स्थापना की अनुसूचित तिथि समाप्त हो जाने के बाद दिया गया (फरवरी 2012)। साथ ही, बीजीआर एनर्जी ने इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल कार्यो के लिए उप विक्रेताओं को कार्यादेश, ईपीसी अनुबंध दिये जाने की तिथि से दो साल से अधिक की देरी के बाद जारी किये। उप विक्रेताओं ने भी सामग्री की आपूर्ति/ मैकेनिकल एवं सिविल कार्य पूर्ण करने में दो साल से अधिक की देरी की। संचालक मण्डल ने कई बार परियोजना की पूर्णता में देरी के मामले की चर्चा की (मार्च 2009 से मई 2014) लेकिन मार्च 2009 से मई 2014 के मध्य शास्ति (एलडी) आरोपित किये जाने के मामले को छः बार स्थगित कर दिया।

बीजीआर एनर्जी के अनुबंध का मूल्य स्थिर था। कम्पनी को अनुबंध के अनुसार आयातित आपूर्तियों के लिए ₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर की स्थिर दर पर भुगतान किया जाना था तथा विनिमय दर के कारण होने वाले किसी अंतर को बीजीआर एनर्जी द्वारा वहन किया जाना था। कम्पनी ने एक यूएस डॉलर ₹ 44.32 से ₹ 66.88 के मध्य विचरित दर पर खरीदे एवं ₹ 295.29 करोड़ के विनिमय दर अंतर की वसूली किये बिना यूएस डॉलर में भुगतान किये। इस कारण कम्पनी पर केन्द्र/ राज्य सरकार को करों के भुगतान के पेटे ₹ 19.40 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ा। साथ ही, कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी (27 जुलाई 2009) अधिसूचना एवं कार्यादेश के वाक्यांशों के उल्लंघन में ₹ 48.21 करोड़ के श्रम उपकर के पुनर्भुगतान द्वारा बीजीआर एनर्जी को अदेय वित्तीय लाभ पहुंचाया।

सिविल कार्य

राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने कालीसिंध नदी पर बांध के निर्माण की लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करने की सहमति दी लेकिन इसने कोई व्यय वहन नहीं किया तथा सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की गई। कम्पनी ने 2007-16 के दौरान डब्ल्यूआरडी को ₹ 696.37 करोड़ के कोष जारी किये लेकिन डब्ल्यूआरडी द्वारा वहन की जाने वाली लागत की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इरकॉन निर्दिष्ट समयावधि में रेलवे साइडिंग के निर्माण को पूरा नहीं कर सका तथा कम्पनी ने फरवरी 2012 से अक्टूबर 2015 के दौरान सात बार (50 माह) समय बढ़ाया तथा प्रतिबद्ध प्रभारों के अतिरिक्त फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभारों के पेटे ₹ 6.26 करोड़ (मार्च 2015 तक) के भुगतान किये।

केएटीपीपी की परिचालन दक्षता

केएटीपीपी, प्लाण्ट लोड फेक्टर; स्टेशन हीट रेट; ईंधन तेल उपभोग एवं सहायक उपभोग के संबंध में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निश्चित किये गये परिचालनात्मक मापदण्डों को प्राप्त नहीं कर सका। परिचालनात्मक मानदण्डों को प्राप्त नहीं करने/ अनुपालना नहीं करने के कारण 2014-16 के दौरान ₹ 1744.06 करोड़ मूल्य की 4217.86 एमयूज के उत्पादन में कमी; ₹ 177.34 करोड़ मूल्य के 4.34 लाख एमटी कोयले का अधिक उपभोग; 22723 किलोलीटर तेल (₹ 99.25 करोड़) का अधिक उपभोग; तथा ₹ 51.67 करोड़ मूल्य की 127.70 एमयूज की हानि हुई। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निश्चित किये गये संयंत्र उपलब्धता मानदण्ड (85 प्रतिशत) भी प्राप्त नहीं किये। प्रथम इकाई 2014-15 के दौरान फोर्स्ड आउटेज के कारण कुल उपलब्ध 7896 परिचालनात्मक घण्टों में से 4431.45 घण्टों (56.12 प्रतिशत) तक अचालित रही।

पर्यावरणीय मामले

कम्पनी ने पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तानुसार केएटीपीपी पर पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया (जुलाई 2016)। केएटीपीपी पारटीकूलेट मैटर; सल्फर डाइ ऑक्साइड; एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडस के

संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मापदण्डों को प्राप्त करने में विफल रहा। साथ ही, वायु एवं ध्वनि प्रदुषण को मापने के लिए उपकरण भी स्थापित नहीं किये गये।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी ने पीएफसी को ब्याज/मूलधन के भुगतान में चूक की तथा किस्तों के समय पर भुगतान के पेटे ₹ 18.15 करोड़ की छूट नहीं ले पाने के अतिरिक्त ₹ 8.47 करोड़ के शास्ति ब्याज एवं उस पर ब्याज चुकाना पड़ा। प्रथम इकाई की स्थापना में 31 माह की देरी से कम्पनी को ₹ 35.40 करोड़ की छूट से वंचित रहना पड़ा। कम्पनी ने बीजीआर एनर्जी को चुकाये गये प्रवेश कर (₹ 22.74 करोड़) के भुगतान से राज्य सरकार से छूट पाने का कोई प्रयास नहीं किया। साथ ही, केएटीपीपी भारत सरकार की मेगा पॉवर परियोजना नीति के अन्तर्गत राजकोषीय परिलाभ लेने के लिए पात्र थी लेकिन कम्पनी ने कभी इसकी संभावनाएं तलाश नहीं की तथा इसलिए, ₹ 431.30 करोड़ के राजकोषीय परिलाभों से वंचित रही।

लेखापरीक्षा अनुशंसाऐं

लेखापरीक्षा अनुशंषाऐं मुख्य रूप से अनुबंध की सामान्य शर्तो/ निविदा शर्तो के अनुसार एलडी एवं बीजीआर एनर्जी को किये गये अन्य अधिक भुगतानों की वसूली; आनुपातिक प्रभारों सहित डब्ल्यूआरडी द्वारा वहन की जाने वाली बांध की लागत की वसूली; पर्यावरणीय मानदण्डों की अनुपालना; तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों के अन्तर्गत परिलाभों को प्राप्त करने के लिए संभावनाएं तलाशने से संबंधित हैं।

परिचय

2.1 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की कालीसिंध तापीय (कोयला आधारित) विद्युत परियोजना (केएटीपीपी) राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान सरकार (राज्य सरकार/ जीओआर) ने राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के लिए विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए अपनी ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007-12) में केएटीपीपी को सम्मिलित किया। संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता 1000 (2 × 500) मेगावाट (एमडब्ल्यू) थी जो ₹ 4600 करोड़ की अनुमानित लागत से स्थापित की जानी थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सिफारिशों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय निविदादाताओं की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के निवेदन (मई 2007) पर राज्य सरकार ने प्रस्तावित क्षमता को 1200 एमडब्ल्यू (2 × 600 एमडब्ल्यू) तक बढ़ा दिया (जून 2007)। केएटीपीपी की प्रथम इकाई (मई 2014) एवं द्वितीय इकाई (जुलाई 2015) ₹ 9479.51 करोड़ की कुल लागत पर स्थापित की गई।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2 निष्पादन लेखापरीक्षा में सलाहकार द्वारा 2007-08 में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने से लेकर संयंत्र की स्थापना सहित 2015-16 के निष्पादन तक केएटीपीपी की गतिविधियां समाहित है।

हमारी संवीक्षा में मुख्य रूप से डीपीआर; संयंत्र को लगाने/अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना से संबंधित अनुबंधों एवं सहबद्ध निर्माण कार्यों की समीक्षा को सम्मिलित किया गया। संयंत्र के संचालनात्मक निष्पादन को डीपीआर में प्रस्तावित निष्पादन के मानकों एवं सीईए/ राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)/ भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित मानकों के संदर्भ में विश्लेषित किया गया। साथ ही, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों की अनुपालना की समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई कि क्याः

- संयंत्र की अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना (ईपीसी) डीपीआर में दी गई समय सीमा के अनुसार थी;
- समय एवं लागत आधिक्य को न्यूनतम करने के लिए अनुबंध एवं वित्तीय प्रबंधन प्रभावी थे;
- संयंत्र द्वारा संचालनात्मक दक्षता को डीपीआर में निर्धारित मानदण्डों/ मानकों तथा सीईए/ आरईआरसी/ जीओआई द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त किया गया; तथा
- कम्पनी द्वारा पर्यावरणीय नियमों/ विनियमों की अनुपालना की गई।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त लेखापरीक्षा मापदण्डों को अपनाया गयाः

- परियोजना की डीपीआर;
- परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/ अनुमोदन;
- संयंत्र को लगाने, प्रापण एवं स्थापना के लिए जारी किए गए निविदा प्रपत्र एवं कार्यादेश;
- डीपीआर में निर्दिष्ट निष्पादन के मानक;
- सीईए/ आरईआरसी/ जीओआई द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन के मानक;
- कोयले की आपूर्ति के लिए संयुक्त साहस अनुबन्ध;
- जीओआई/ राज्य सरकार के पर्यावरणीय नियम एवं विनियम;
- आरईआरसी को प्रस्तुत किए गए निष्पादन प्रतिवेदन; एवं
- कम्पनी के संचालक मण्डल की कार्यसूची एवं कार्यवृत, मैन्युअल्स, एमआईएस एवं अन्य संबंधित अभिलेख।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

2.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षा मापदण्डों के संदर्भ में अपनाई गई कार्यविधि में निम्नलिखित को समाहित किया गयाः

- 22 फरवरी 2016 को आयोजित प्रविष्टि सभा में कम्पनी तथा सरकार के समक्ष लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा मापदण्डों को स्पष्ट करना;
- जनवरी 2016 से मई 2016 के दौरान कम्पनी के प्रधान कार्यालय तथा केएटीपीपी पर अभिलेखों की संवीक्षा;
- लेखापरीक्षा प्रश्नावली जारी करना एवं कम्पनी के प्रबंधन के साथ चर्चा;
- सरकार/ कम्पनी को टिप्पणी एवं उन पर प्रत्युत्तर के लिए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना (जून एवं अगस्त 2016);
- 29 अगस्त 2016 को आयोजित समापन सभा के दौरान लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार/ कम्पनी के साथ चर्चा करना।

समापन सभा में कम्पनी के विचारों तथा प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके उत्तर (अगस्त 2016) को ध्यान में रखते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया। सरकार ने कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (अगस्त 2016)।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.6 लेखापरीक्षा परिणाम मुख्यतः परियोजना को स्थापित करने एवं सिविल कार्यों में अनुबंध प्रबंधन; संयंत्र की संचालनात्मक निष्पादन दक्षता; तथा पर्यावरणीय नियम एवं विनियमों की अनुपालना से संबंधित मामलों को सम्मिलित करते हैं।

केएटीपीपी को स्थापित करना

2.7 राज्य सरकार ने केएटीपीपी की दो इकाइयों (प्रत्येक 500 एमडब्ल्यू) को स्थापित करने के लिए ₹ 4600 करोड़ की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जून 2007)। स्वीकृति की शर्तों में कोषीय व्यवस्था को 80:20 के ऋण-समता अनुपात में दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत की समता सहायता प्रदान की जानी थी तथा शेष 80 प्रतिशत कोषों की व्यवस्था कम्पनी द्वारा पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) एवं वाणिज्यिक बैंकों से उधारी के माध्यम से की जानी थी।

डीपीआर में संयंत्र (2 × 600 एमडब्ल्यू) को स्थापित करने की लागत ₹ 5495.07 करोड़ परिकल्पित की गई थी (अक्टूबर 2007)। कम्पनी द्वारा अनुमानित लागत को ₹ 7723.70 करोड़ तक संशोधित किया गया (मई 2011) जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई (अगस्त 2011)। राज्य सरकार ने अतिरिक्त समता सहायता के लिए भी स्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2012)। अनुमानित लागत को फिर से ₹ 9479.51 करोड़ तक संशोधित किया गया (मार्च 2014) जिसको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया (अगस्त 2014)।

परियोजना लागत में वृद्धि (₹ करोड़ में)

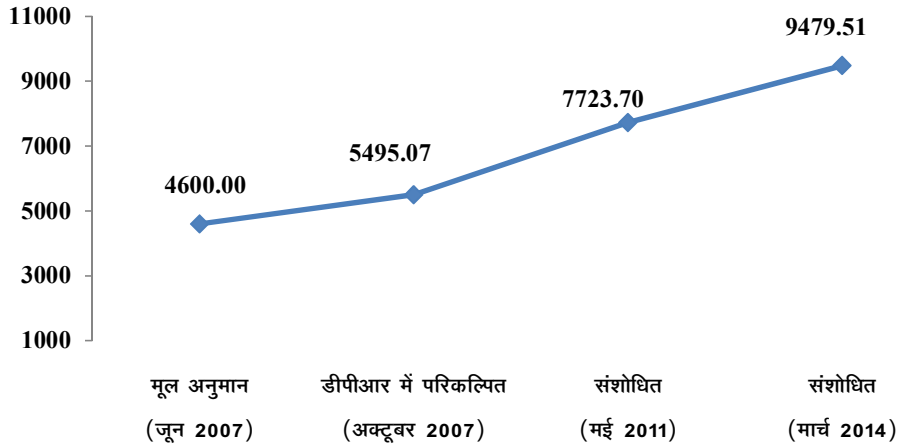

परियोजना का कोषीय स्वरूप मार्च 2016 को निम्न प्रकार था:

कोषों के स्त्रोत	राशि (₹ करोड़ में)	अंशदान प्रतिशतता
राज्य सरकार से वित्तीय सहायता	1895.90	20.00
पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन से ऋण	6583.61	69.45
बॉण्ड जारी किए गए	850.00	8.97
बैंकों से लघु अवधि ऋण	150.00	1.58
कुल	**9479.51**	**100.00**

मुख्य संयंत्र की प्रथम एवं द्वितीय इकाई को कार्यादेश जारी करने की तिथि से क्रमशः 39 तथा 42 माह में स्थापित किया जाना अनुसूचित था। इकाइयों को, तथापि, अनुबंधित स्थापना अवधि से क्रमशः 31 तथा 42 माह की देरी से स्थापित किया गया। प्रथम इकाई मई 2014 में तथा द्वितीय इकाई जुलाई 2015 में कुल ₹ 9479.51 करोड़ की लागत पर स्थापित की गई। इस प्रकार संयंत्र को स्थापित करने की वास्तविक लागत, अनुमानित लागत से 106.08 प्रतिशत से बढ़ गई। लागत आधिक्य के कारणों के मुख्य घटकों को नीचे दिए गए पाई चार्ट में दर्शाया गया है:

लागत आधिक्य के मुख्य घटक (₹ करोड़ में)

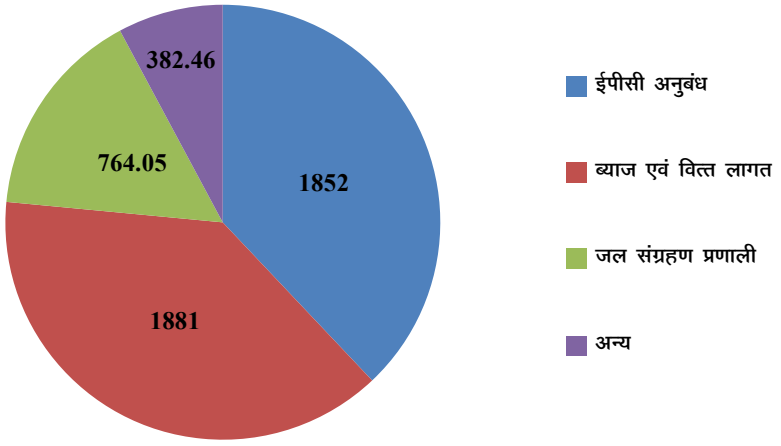

2.8 बढ़ी हुई लागत के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा नीचे की गई है:

- सलाहकार द्वारा तैयार की गई डीपीआर तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रारम्भिक स्वीकृति (जून 2007) के अनुसार दोनों इकाइयों की 'अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना' (ईपीसी) की लागत ₹ 3539 करोड़ थी। तथापि, ईपीसी अनुबंध न्यूनतम निविदादाता को ₹ 4900.06 करोड़ में प्रदान किया गया (अक्टूबर 2008)। बाद में विदेशी विनिमय दर में बदलाव एवं प्रवेश कर जैसी कर देयताओं के समावेश के कारण ईपीसी अनुबंध के मूल्य को ₹ 5391 करोड़ तक बढ़ा दिया गया (मई 2011 एवं मार्च 2014)। प्रारम्भिक स्वीकृत लागत एवं डीपीआर में अभिकल्पित लागत की तुलना में ईपीसी कार्यों की लागत, इस प्रकार, ₹ 1852 करोड़ (52.33 प्रतिशत) से बढ़ गई।

- डीपीआर में जल संग्रहण प्रणाली की लागत को ₹ 50 करोड़ अभिकल्पित किया गया। तथापि, कम्पनी ने डीपीआर में अभिकल्पित जल संग्रहण प्रणाली के अतिरिक्त कालीसिंध नदी पर बांध तथा केएटीपीपी परिसर में पानी हेतु एक अतिरिक्त जलाशय का निर्माण भी कराया। यद्यपि बांध तथा पानी के एक अतिरिक्त जलाशय का निर्माण प्रगतिशील था (मार्च 2016), कम्पनी बांध के निर्माण के पेटे राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग को ₹ 696.37 करोड़ का भुगतान जारी कर चुकी थी। पानी के अतिरिक्त जलाशय के लिए ₹ 67.68 करोड़ का अनुबंध प्रदान किया गया। इस प्रकार, परियोजना लागत ₹ 764.05 करोड़ से बढ़ गई।

- परियोजना की प्रारम्भिक स्वीकृत लागत में निर्माणावधि में ब्याज एवं वित्त लागत को ₹ 564 करोड़ अनुमानित किया गया था। तथापि, समय एवं लागत आधिक्य ने ब्याज एवं वित्त लागत को ₹ 2445 करोड़ तक बढ़ा दिया।

- सलाहकार ने रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए ₹ 30 करोड़ की लागत अभिकल्पित की। कम्पनी ने लागत सहित के आधार पर इरकॉन लिमिटेड को अनुबंध प्रदान किया। कार्य प्रगतिशील था (मार्च 2016) तथा मार्च 2015 तक कम्पनी द्वारा इरकॉन लिमिटेड को ₹ 160.56 करोड़ की राशि जारी की जा चुकि थी। कम्पनी, रेलवे साइडिंग के निर्माण से संबंधित अन्य कार्यों के लिए रेलवे को ₹ 23.29 करोड़ का भुगतान भी कर चुकी थी (मार्च 2015)।

- डीपीआर में विभिन्न प्रकार के सहायक कार्यों यथा स्टोर शेड/ हॉस्टल का निर्माण (₹ 12.97 करोड़); फायर टेण्डर एवं डोजर (₹ 8 करोड़); तृतीय पक्ष निरीक्षण (₹ 3.75 करोड़); चारदीवारी का निर्माण (₹ 2.28 करोड़); निगमित सामाजिक दायित्व (₹ 24 करोड़) को भी अभिकल्पित नहीं किया था जिसने परियोजना लागत में वृद्धि की।

कम्पनी ने लागत आधिक्य के तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया कि इकाइयों (2 × 500 मेगावॉट) को स्थापित करने के लिए परियोजना प्रतिवेदन को राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सामान्य मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा मौटे तौर पर अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया था। तथ्य यही रहा कि परियोजना अनुमान यथार्थवादी नहीं थे।

परियोजना का निष्पादन

2.9 केएटीपीपी की इकाइयों को स्थापित करने के लिए कम्पनी द्वारा दिए गए मुख्य अनुबंध निम्न प्रकार थेः

कार्यादेशों/ अनुबंधों का विवरण	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश जारी करने की तिथि	कार्यादेश की राशि (₹ करोड़ में)
डीपीआर तैयार करना	टीसीई कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड	6 अक्टूबर 2007	8.40
आयातित अनिवार्य पुर्जों सहित उपकरण एवं सामग्री की आपूर्ति	बीजीआर एनर्जी लिमिटेड	13 अक्टूबर 2008	405 मिलियन यूएस डॉलर एवं ₹ 431.296 करोड़ (कुल ₹ 2034.691 करोड़)
भारतीय मूल के अनिवार्य पुर्जों सहित सभी उपकरण एवं सामग्री की आपूर्ति	बीजीआर एनर्जी लिमिटेड	13 अक्टूबर 2008	1843.216
अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति	बीजीआर एनर्जी लिमिटेड	26 जून 2015	166.00
बॉइलर, स्टीम टरबाइन, जनरेटर सामग्री का तृतीय पक्ष से निरीक्षण	लोयडस रजिस्टर एशिया	16 जुलाई 2009	3.00

कालीसिंध तापीय विद्युत संयंत्र का बाहरी दृश्य

सलाहकार की नियुक्ति

2.10 कम्पनी ने केएटीपीपी को स्थापित करने के लिए विस्तृत सलाहकारी सेवाओं जिसमें व्यवहार्यता प्रतिवेदन/ डीपीआर; प्रापण सहायता, निरीक्षण सवाऐं, फील्ड अभियांत्रिकी (कार्यस्थल पर्यवेक्षण) सेवाएं एवं स्टार्ट अप; स्थापना तथा स्थापना के बाद सलाह सहित प्रारम्भिक संचालन रूपरेखा एवं अभियांत्रिकी सेवाओं को सम्मिलित किया गया, को प्रदान करने

के लिए ₹ 8.40 करोड़ की लागत पर टीसीई कंसल्टिंग इंजिनीयर्स लिमिटेड (सलाहकार) को नियुक्त किया (अक्टूबर 2007)।

कार्यादेश में भुगतान को तीन भागों में विभक्त किया गया थाः विस्तृत सलाहकारी सेवाओं के लिए एकमुश्त स्थिर कीमत; निरीक्षण सेवाओं के लिए मानव दिवस दर; तथा योग्यताधारी एवं अनुभवी इंजिनियरों की सेवाओं के लिए मानव माह दर। मानव माह दरें 31 दिसम्बर 2008 तक वैध थी जबकि एकमुश्त कीमतें 30 जून 2012 तक वैध थी। कम्पनी को वैधता अवधि के पश्चात सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रति कैलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए आठ प्रतिशत की दर से मूल्य वृद्धि प्रभारों का भुगतान करना था।

हमने देखा कि कम्पनी ने परियोजना की स्थापना में देरी के कारण वैधता अवधि के पश्चात सेवाएं प्राप्त करने के लिए मूल्य वृद्धि प्रभारों सहित मानव दिवसों तथा मानव माहों के पेटे ₹ 3.75 करोड़[1] का अतिरिक्त व्यय वहन किया।

कम्पनी ने बताया कि योजनानुसार कार्यों की निगरानी/ निरीक्षण के लिए निरीक्षण सेवाएं अत्यावश्यक थी। तथ्य यही रहा कि परियोजना की स्थापना में देरी के कारण कम्पनी को अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

परियोजना का क्रियान्वयन

2.11 कम्पनी ने बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, चेन्नई (बीजीआर एनर्जी) को ₹ 4900.06 करोड़ की मोलभाव की गई कीमत पर केएटीपीपी की दोनों इकाइयां स्थापित करने के लिए 'अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना' (ईपीसी) आधार पर आशय पत्र (एलओआई) जारी किया (जुलाई 2008)। अनुबंध में 405 मिलियन यूएस डॉलर की आयातित तथा ₹ 3296.66 करोड़ की स्थानीय (भारतीय) आपूर्तियां/ सेवाएं सम्मिलित थी। कार्यादेश (13 अक्टूबर 2008) के वाक्यांश 11 में प्रावधान था कि प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि एलओआई जारी करने की तिथि से क्रमशः 39 तथा 42 माह होगी। तदनुसार, प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि क्रमशः 8 अक्टूबर 2011 तथा 8 जनवरी 2012 थी। प्रथम एवं द्वितीय इकाई को क्रमशः 17 दिसम्बर 2011 तथा 17 मार्च 2012 को अन्तिम रूप से सौंपा जाना था।

प्रथम एवं द्वितीय इकाई क्रमशः 7 मई 2014 तथा 25 जुलाई 2015 को वाणिज्यिक संचालन के लिए स्थापित घोषित की गई। इस प्रकार, प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि में क्रमशः 31 तथा 42 माह की देरी हुई जिसकी चर्चा नीचे की गई हैं।

पर्यावरणीय मंजूरी की अनुपलब्धता

2.12 कम्पनी ने केएटीपीपी के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए एमओईएफ को आवेदन किया (19 दिसम्बर 2007) जिसकी स्वीकृति 26 फरवरी 2009 को प्राप्त हुई। जिसके कारण, बीजीआर एनर्जी एलओआई जारी करने (9 जुलाई 2008) की तिथि से कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकी परिणामतः कार्य प्रारम्भ करने में सात माह की देरी हुई।

---

1 कार्यादेश के अनुसार ₹ 2.65 करोड़ चुकाये जाने थे। तथापि, परियोजना में देरी के कारण सलाहकार को चुकाये गये कुल परिवर्तनशील प्रभार ₹ 6.40 करोड़ थे।

कम्पनी ने बताया कि एमओईएफ से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्ति में देरी एक प्रक्रियात्मक देरी थी तथा कम्पनी के नियंत्रण से बाहर थी।

पर्ट चार्ट के अनुसार समय सारणी की अनुपालना नहीं करना

2.13 बीजीआर एनर्जी ने परियोजना के विभिन्न इलैक्ट्रीकल, मैकेनिकल एवं सिविल कार्यों को पूर्ण करने की अनुसूचित तिथि इंगित करते हुए पर्ट[2] चार्ट प्रस्तुत किया (सितम्बर 2008)। पर्ट चार्ट के अनुसार पूर्णता की अनुसूचित तिथि की तुलना में मुख्य माइलस्टोन्स को प्राप्त करने में बीजीआर एनर्जी का निष्पादन निम्न प्रकार है:

कार्य का नाम	प्रथम इकाई			द्वितीय इकाई		
	पूर्णता की अनुसूचित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	देरी माह में	पूर्णता की अनुसूचित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	देरी माह में
बॉइलर लाइट अप	12 मार्च 2011	30 दिसम्बर 2012	21	07 जून 2011	16 अप्रैल 2014	33
ऐश हैण्डलिंग प्लाण्ट	28 मार्च 2011	03 जून 2014	38	20 जून 2011	03 जून 2014	35
कोल हैण्डलिंग प्लाण्ट	05 मई 2011	16 सितम्बर 2013	28	05 मई 2011	16 सितम्बर 2013	28
कूलिंग टावर	10 मई 2011	21 अप्रैल 2013	23	25 जून 2011	12 दिसम्बर 2015	53
बैरिंग गियर पर टरबाइन	27 मई 2011	03 फरवरी 2013	18	06 अगस्त 2011	25 अगस्त 2014	36
रोलिंग एण्ड सिंक्रोनाइजेशन	14 जून 2011	30 मई 2014	35	05 सितम्बर 2011	27 फरवरी 2015	41
400 के वी स्वीच यार्ड की तैयारी	09 सितम्बर 2010	31 मार्च 2014	42	20 जनवरी 2011	31 मार्च 2014	38

उपरोक्त से देखा गया कि बीजीआर एनर्जी निर्दिष्ट समयावधि में किसी भी मुख्य गतिविधि को पूरा नहीं कर सकी। मुख्य गतिविधियां यथा बॉइलर लाइट अप, ऐश हैण्डलिंग प्लाण्ट, कोल हैण्डलिंग प्लाण्ट एवं कूलिंग टावर इत्यादि प्रथम इकाई के मामले में 18 से 41 माह तथा द्वितीय इकाई के मामले में 28 से 53 माह की देरी के बाद पूरी की गई। मुख्य गतिविधियों की पूर्णता में देरी ने इकाइयों के ट्रायल रन को क्रमशः 32 तथा 42 माह से विलम्बित किया। बीजीआर एनर्जी ने इकाइयों को अन्तिम रूप से जनवरी 2016 में हैण्ड ओवर किया।

हमने देखा कि ईपीसी अनुबंध दिये जाने के बाद बीजीआर एनर्जी द्वारा उप विक्रेताओं को दिये गये कार्यादेशों में भी अधिक देरी थी। 87 इलैक्ट्रीकल एवं 567 मैकेनिकल कार्यों में से 17 इलैक्ट्रीकल एवं 60 मैकेनिकल कार्यों के लिए उप विक्रेताओं को कार्यादेश ईपीसी अनुबंध दिये जाने की तिथि से दो साल से अधिक की देरी के बाद जारी किये गये। बीजीआर एनर्जी के उप विक्रेताओं ने भी सामग्री की आपूर्ति तथा मैकेनिकल एवं सिविल कार्यों को पूरा करने में देरी की। उप विक्रेताओं ने तीन इलैक्ट्रीकल तथा 85 मुख्य मैकेनिकल कार्यो के लिए सामग्री की आपूर्ति में दो साल से अधिक की देरी की। साथ ही, उप विक्रेताओं ने कुल 74 सिविल कार्यों में से 36 कार्यों में दो साल से अधिक की देरी की।

2 कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक।

दोनों इकाइयों के संबंध में बीजीआर एनर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये मासिक प्रगति प्रतिवेदनों से उजागर हुआ कि 8 जनवरी 2012 तक (द्वितीय इकाई की पूर्णता की अनुसूचित तिथि), शेष संयंत्र; बॉइलर; टरबाइन एवं जनरेटर (बीटीजी) के निर्माण के पूर्णता का स्तर, पर्ट चार्ट में परिकल्पित 99.57 प्रतिशत पूर्णता के स्तर के विरुद्ध केवल 73.59 प्रतिशत था। आगे विश्लेषण से उजागर हुआ कि बीजीआर एनर्जी ने कोल हैण्डलिंग प्लाण्ट से संबंधित 16 मैकेनिकल ड्रॉइंग्स तथा वैगन टिपलर से संबंधित चार सिविल इंजिनियरिंग्स ड्रॉइंग्स द्वितीय इकाई की पूर्णता की निर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये थे। सिविल कार्य के संबंध में, द्वितीय इकाई की पूर्णता की निर्दिष्ट तिथि तक 42 प्रतिशत सोलिंग[3] एवं स्टोक पाइल एरिया का 60 प्रतिशत आरसीसी[4] कार्य; क्रशर हाउस का 40 प्रतिशत आरसीसी कार्य; तथा कनवेयर फाउण्डेशन का 45 प्रतिशत कार्य लम्बित थे।

हमने देखा कि कम्पनी द्वारा देरी के कारणों का कोई विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया था। संचालक मण्डल (मण्डल) ने संचालक मण्डल की सभाओं में परियोजना की पूर्णता में देरी के मामले की चर्चा की (मार्च 2009 से मई 2014)। तथापि, परियोजना को समयबद्ध पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए बीजीआर एनर्जी को कोई ठोस कार्यवाही या निर्देश जारी नहीं किये गये। यहां तक कि संचालक मण्डल ने मार्च 2009 से मई 2014 के मध्य छः बार शास्ति (एलडी) आरोपित किये जाने के मामले को इस तर्क के साथ स्थगित किया कि एलडी आरोपित नहीं किये जाने का यह आशय नहीं होगा कि ठेकेदार अपने कर्त्तव्यों तथा दायित्वों से मुक्त हो जायेगा।

हमने देखा कि कार्यादेश (अक्टूबर 2008) के वाक्यांश 5 में प्रावधान था कि ठेकेदार को अनुबंध के विश्वसनीय निष्पादन एवं समयबद्ध पूर्णता के लिए ईपीसी अनुबंध के कुल समेकित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारन्टी के रूप में एक अनुबंध निष्पादन गारन्टी प्रस्तुत करना आवश्यक था। अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के वाक्यांश 22.1 तथा बीजीआर एनर्जी को जारी किये गये कार्यादेशों के वाक्यांशों में इकाइयों को सौंपने में देरी के लिए प्रति सप्ताह या उसके किसी भाग के लिए कुल अनुबंध मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से एलडी लगाने का प्रावधान था। इकाइयों को सौंपने में देरी के लिए एलडी की अधिकतम राशि कुल अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत थी।

31 जुलाई 2016 को कम्पनी के पास परियोजना की पूर्णता में देरी के लिए एलडी के पेटे ₹ 109.57 करोड़ तथा 10.7 मिलियन यूएस डॉलर का वित्तीय धारण था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास बीजीआर एनर्जी द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों के निष्पादन के पेटे बैंक गारन्टी[5] के रूप में ₹ 329.67 करोड़ तथा 40.5 मिलियन यूएस डॉलर का वित्तीय धारण भी था।

कम्पनी ने बताया कि पर्ट चार्ट में दर्शायी गई विभिन्न गतिविधियां एक दूसरे से अंतर्संबंधित थी तथा आगत उपलब्ध कराने में कोई भी देरी का भावी गतिविधियों पर पारीणामिक प्रभाव था। कम्पनी ने समय आधिक्य के लिए पर्यावरणीय एवं रेलवे साइडिंग की मंजूरी में देरी; ठेकेदार को भुगतान से संबंधित मामलों; 2011 एवं 2012 के दौरान बारिश के लम्बे दौर; इत्यादि को

3 भूमि का समतलीकरण।

4 रिइन्फोर्स्ड सिमेंट कंक्रीट।

5 बैंक गारन्टी अप्रैल 2017 तक वैध हैं।

उत्तरदायी बताया। कम्पनी ने यह भी बताया कि परियोजना की पूर्णता में देरी के लिए बीजीआर एनर्जी से वसूली जाने वाली एलडी को अन्तिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका था।

जनरेटर ट्रांसफॉर्मर का संस्थापन

2.14 ईपीसी अनुबंध के तकनीकी विशिष्ट विवरणों[6] के अनुसार बीजीआर एनर्जी को भारतीय मेक के ट्रांसफॉर्मर्स के दो सैट संस्थापित किया जाना था। अग्रणी उप विक्रेताओं में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, एल्सटोम, ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स केरला लिमिटेड, एशिया ब्राउन बोवेरी तथा क्रोम्प्टन ग्रीव्ज लिमिटेड शामिल थे।

बीजीआर एनर्जी द्वारा सभी नियम, शर्तों एवं तकनीकी विशिष्ट विवरणों को निविदा के अन्तिमीकरण के दौरान स्वीकार किया गया था तथा यहां तक कि निविदा पूर्व की बैठकों के दौरान भी जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स के तकनीकी विशिष्ट विवरणों में बदलाव के लिए कोई विशेष निवेदन नहीं किया था। तथापि, बीजीआर एनर्जी ने बाद में, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स के तकनीकी विशिष्ट विवरणों में बदलाव के लिए निवेदन किया (फरवरी 2009) तथा चीन निर्मित जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स लगाने का प्रस्ताव दिया। फरवरी 2009 से अक्टूबर 2011 के दौरान कम्पनी एवं बीजीआर एनर्जी के मध्य इस मामले में कई बार पत्राचार हुआ लेकिन बीजीआर एनर्जी अग्रणी स्थानीय उप विक्रेताओं से भारत में निर्मित जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति नहीं करने के पर्याप्त कारणों को प्रस्तुत नहीं कर सकी। अन्त में, बीजीआर एनर्जी भारत में निर्मित जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए सहमत हुई (जनवरी 2012) तथा क्रोम्प्टन ग्रीव्ज लिमिटेड को आपूर्ति आदेश दिया (फरवरी 2012)। जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स मार्च 2012 के दौरान केएटीपीपी पर प्राप्त हुआ। उस समय तक, दोनों इकाइयों पर जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स को स्थापित करने की अनुसूचित तिथि (26 जनवरी 2011) पहले ही निकल चुकी थी।

इसके कारण प्रथम एवं द्वितीय इकाई को स्थापित करने में महत्वपूर्ण देरी हुई क्योंकि जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए क्रयादेश दोनों इकाइयों को स्थापित करने की अनुबंधात्मक तिथि (जनवरी 2012) निकल जाने के बाद दिया गया।

कम्पनी ने बताया कि जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति में देरी के कारण परियोजना की पूर्णता में किसी भी देरी को अनुबंध के समापन को अन्तिम रूप देते समय देरी के अन्य कारणों के साथ ध्यान में रखा जायेगा।

बीजीआर एनर्जी को अदेय लाभ

2.15 कम्पनी ने ईपीसी आधार पर केएटीपीपी की दो इकाइयों को स्थापित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की (13 अगस्त 2007) तथा बीजीआर एनर्जी तथा भेल से निविदाएं प्राप्त हुई। निविदादाताओं को निर्देश (आईटीबी) तथा अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के विभिन्न वाक्यांशों में प्रावधान था कि:

- निविदादाता स्थिर आधार पर समस्त कार्यक्षेत्रों के लिए एकमुश्त मूल्य में अपने प्रस्ताव देंगे तथा नियत व्यवस्था के अतिरिक्त मूल्य उद्धत करने पर निविदाओं के निरस्त होने का जोखिम होगा। मूल्य को भारतीय रुपये या यूएस डॉलर में उद्धत किया जायेगा।

6 भाग सी-14 / वोल्यूम-II

यदि निविदादाता यूएस डॉलर में मूल्य उद्धत करता है तब यूएस डॉलर को तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि पर लागू विनिमय दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जायेगा। इस प्रकार भारतीय रुपये में परिवर्तित मूल्य को निविदा मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जायेगा। साथ ही, तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि पर लागू विनिमय दर पर भुगतान के लिए मुद्रा भारतीय रुपया (मूल्य निविदा में निविदादाता द्वारा इंगित मुद्रा को ध्यान में नहीं रखते हुए) होगी (आईटीबी का वाक्यांश 18)।

- अनुबंध मूल्य केवल भारत में लागू करों एवं शुल्कों में वैधानिक विचलन के अतिरिक्त स्थिर होगा (जीसीसी का वाक्यांश 16)।
- कम्पनी अनुबंध के अन्तर्गत भुगतानों के लिए सहबद्ध वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भारतीय रुपये/ यूएस डॉलर में भुगतान करेगी। यदि आयातित घटकों के लिए यूएस डॉलर में भुगतान के लिए निवेदन किया गया तो तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि पर यूएस डॉलर के विक्रय मूल्य को ध्यान में रखते हुए भुगतान यूएस डॉलर में किया जायेगा तथा विनिमय दर में किसी भी प्रकार के अंतरों का दायित्व ठेकेदार के हिस्से होगा (जीसीसी का वाक्यांश 45.5.1)।
- कोई विनिमय दर का अंतर भुगतान योग्य नहीं होगा; मूल्य स्थिर होंगे; तथा विनिमय दर में किसी भी प्रकार के अंतर का दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा। तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि पर यूएस डॉलर की विनिमय दर को अनुबंध समाप्त होने तक काम में लिया जायेगा तथा यूएस डॉलर की व्यवस्था करने के लिए सभी प्रभारों का दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा (जीसीसी का वाक्यांश 47.2)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि बीजीआर एनर्जी ने निविदा पूर्व बैठक (अक्टूबर 2007) के दौरान आईटीबी के वाक्यांश 18 तथा जीसीसी के वाक्यांश 45.5.1 में विचलन के बारे में पूछताछ की। इसने इच्छा जताई कि भुगतान निविदा में उद्धत की गई मुद्रा में किये जायेंगे तथा विदेशी भाग का भुगतान तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि को विद्यमान विनिमय दर के स्थान पर इसके भुगतान की तिथि को लागू दर पर किया जाना चाहिए।

कम्पनी ने मामले को स्पष्ट नहीं किया तथा इसे यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि निविदादाताओं को देय समयावधि में स्पष्टीकरण जारी कर दिया जायेगा। तथापि, कम्पनी ने अनुबंध के विदेशी आपूर्ति वाले भाग के लिए विदेशी विनिमय में भुगतान के संबंध में बीजीआर एनर्जी द्वारा मांगे गये अन्य स्पष्टीकरण के संबंध में स्पष्ट किया कि भुगतान उन मुद्राओं (यूएस डॉलर तथा भारतीय रुपया) में किया जायेगा जिसमें ठेकेदार की निविदा में अनुबंध का मूल्य उद्धत किया था।

यह देखा गया कि भेल ने अनुबंध के मूल्य को विशेष रूप से भारतीय रुपये में उद्धत किया जबकि बीजीआर एनर्जी ने अपने निविदा मूल्य को दो भागों यथा 405 मिलियन यूएस डॉलर की आयातित आपूर्तियां एवं ₹ 3419.61 करोड़ की देशी आपूर्तियां एवं सिविल कार्य, में उद्धत किया। कम्पनी ने तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि (10 जनवरी 2008) को विद्यमान विनिमय दर (₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर) को ध्यान में रखते हुए 405 मिलियन

यूएस डॉलर को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया। कम्पनी ने निविदा की शर्तों तथा उपकरणों/ प्रस्तावित संयंत्र के गारन्टीड निष्पादन मापदण्डों के अनुसार निविदाओं का मूल्यांकन किया। भेल तथा बीजीआर एनर्जी के अनुबंध मूल्यों को क्रमशः ₹ 5083.35 करोड़ तथा ₹ 5027.51 करोड़ पर मूल्यांकित किया। जैसा कि बीजीआर एनर्जी न्यूनतम निविदादाता था, कम्पनी ने इसके साथ मोलभाव किया (जुलाई 2008) तथा ₹ 4900.06 करोड़ का एलओआई जारी किया (9 जुलाई 2008)। बाद में, 13 अक्टूबर 2008 को कार्यादेश जारी किया।

यह देखा गया कि कम्पनी ने यूएस डॉलर में उद्धत की गई आपूर्तियों का भुगतान करने के लिए गणना की जाने वाली विनिमय दर की तिथि के संबंध में बीजीआर एनर्जी द्वारा मांगे गये विचलनों पर कभी कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया। कम्पनी ने, तथापि, यूएस डॉलर का बंदोबस्त किया तथा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि विनिमय दर में अंतर भुगतान योग्य नहीं था, बीजीआर एनर्जी को भुगतान किये गये। अनुबंध दिये जाने के बाद यूएस डॉलर की विनिमय दर में काफी उतार चढ़ाव थे तथा कम्पनी ने मार्च 2010 से जून 2015 की अवधि के दौरान ₹ 44.32 से ₹ 66.88 प्रति यूएस डॉलर की विनिमय दरों पर भुगतान किये।

कम्पनी को अनुबंध के अनुसार आयातित आपूर्तियों के लिए ₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर की स्थिर दर पर भुगतान किया जाना आवश्यक था तथा विनिमय दर के कारण किसी अंतर को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था। कम्पनी ने, आईटीबी एवं जीसीसी की शर्तों को ध्यान में नहीं रखते हुए, बीजीआर एनर्जी को इसके द्वारा की गई आयातित आपूर्तियों पर ₹ 295.29 करोड़ अधिक चुकाये। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने यूएस डॉलर का बंदोबस्त करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को किये गये ₹ 8.72 लाख के भुगतान को भी समायोजित नहीं किया।

विनिमय दर में अंतर के कारण किये गये अधिक भुगतान ने न्यूनतम निविदादाता के चयन की प्रक्रिया को भी अतुलनीय बना दिया क्योंकि ₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर की विनिमय दर को ध्यान में नहीं रखते हुए बीजीआर एनर्जी को किया गया भुगतान भेल द्वारा उद्धत किये गये मूल्यों से बहुत अधिक था।

कम्पनी ने बताया कि लदान की तिथि पर लागू विदेशी विनिमय दर पर भारतीय रुपयों में भुगतान करने के लिए सरकारी संस्थाओं में अपनाई गई एक मानक परम्परा थी। साथ ही, कम्पनी ने विदेशी आपूर्तियों के भाग के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था (नवम्बर 2007) जिसमें बताया गया कि इस अनुबंध के अन्तर्गत मुद्रा अथवा मुद्राएं, जिनमें ठेकेदार को भुगतान किये जाने थे, सामान्य सिद्धान्तों के अधीन, निविदा में नियत किये जाने चाहिए कि भुगतान उन मुद्रा अथवा मुद्राओं (यूएस डॉलर तथा भारतीय रुपया) में किया जायेगा जिसमें ठेकेदार की निविदा में अनुबंध का मूल्य उद्धत किया था। तथापि, भारत में लागू कर, शुल्क तथा प्रभारों का भुगतान स्थानीय मुद्रा अर्थात भारतीय रुपये में किया जायेगा। इस स्पष्टीकरण ने विदेशी विनिमय दर को ध्यान में रखे बिना निविदा में उद्धत मुद्रा/ मुद्राओं में भुगतान को अनुमत किया।

इस तथ्य के मद्देनजर उत्तर सहमतिकारक नहीं है कि जीसीसी के वाक्यांशों 45.5.1 तथा 47.2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान था कि भुगतान तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि पर लागू यूएस डॉलर की विनिमय दर में किये जायेंगे तथा विनिमय दर में किसी भी प्रकार के अंतर का दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा। नवम्बर 2007 में जारी स्पष्टीकरण में ये कहीं

उल्लिखित नहीं था कि विनिमय दर में अंतर को कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही, जीसीसी के वाक्यांश 16 तथा आईटीबी के वाक्यांश 18 के अनुसार अनुबंध का मूल्य स्थिर था।

कर/ उपकर के पेटे अधिक दायित्व

2.16 कम्पनी ने आयातित आपूर्तियों के लिए बीजीआर एनर्जी के बिलों से 2009-16 की अवधि के दौरान आयकर (दो प्रतिशत), निर्माण अनुबंध कर (तीन प्रतिशत) तथा श्रम उपकर (एक प्रतिशत) के पेटे 23.98 मिलियन यूएस डॉलर की वैधानिक कटौतियां की। बिलों से की गई कटौतियों की राशि को तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि की विनिमय दर (₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर) के स्थान पर विद्यमान विनिमय दर (₹ 44.32 से ₹ 66.88 प्रति यूएस डॉलर) पर यूएस डॉलर में परिवर्तित करने के बाद संबंधित कर प्राधिकारियों के पास जमा कराया गया। इस कारण कम्पनी पर केन्द्र/ राज्य सरकार को इन करों के भुगतान के पेटे ₹ 19.40 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

कम्पनी ने बताया कि सभी आयातित भुगतान यूएस डॉलर में किये गये तथा इसी तरह करों की स्रौत पर कटौती भी यूएस डॉलर में की गई तथा विद्यमान विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए भारतीय रुपयों के बराबर राशि को संबंधित कर प्राधिकारियों के पास जमा करा दिया। तथ्य यही रहा कि इसके परिणामतः विद्यमान दर पर यूएस डालर में भुगतान के कारण जमा कराई गई राशि से, जो कि आईटीबी के वाक्यांश 18 तथा जीसीसी के वाक्यांश 16, 45.5.1 एवं 47.2 का उल्लंघन था के कारण कम्पनी पर अतिरिक्त भार पड़ा।

बीजीआर एनर्जी को श्रम उपकर का पुनर्भुगतान

2.17 बीजीआर एनर्जी को दिये गये (13 अक्टूबर 2008) कार्यादेश के वाक्यांश 1 तथा 2 में प्रावधान था कि अनुबंध मूल्य, हर प्रकार से स्थिर था चाहे दर्शाए गए करों एवं शुल्कों का उल्लेख किया हो अथवा नहीं, 10 जनवरी 2008 को लागू सभी करों एवं शुल्कों सहित था। वाक्यांश 3 में प्रावधान था कि अनुबंधात्मक अवधि के दौरान यदि कर की दरें बढ़ी अथवा घटी अथवा कोई नया कर लगाया गया अथवा किसी विद्यमान कर को समाप्त किया गया, जैसी भी स्थिति हो तो करों एवं शुल्कों में अंतर की राशि को कंपनी द्वारा पुनर्भरित/समायोजित/ वसूल किया जायेगा। स्रौत पर कर की कटौती से संबंधित वाक्यांश 4 में प्रावधान था कि यदि किसी लागू विधान के अन्तर्गत ठेकेदार को किये गये किसी भुगतान से कम्पनी द्वारा स्रौत पर किसी कर की कटौती करनी आवश्यक थी, तो ऐसे कर का पुनर्भरण कम्पनी द्वारा नहीं किया जायेगा। तथापि, ठेकेदार को आवश्यक कर कटौती का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही, अनुबंध की वैधता के दौरान यदि राज्य अथवा केन्द्र सरकार स्रौत पर कटौती किये जाने वाले किसी अन्य कर को प्रभाव में लाती है तब विद्यमान नियमानुसार इसकी स्रौत पर कटौती की जायेगी तथा कम्पनी द्वारा इसे पुनर्भरित नहीं किया जायेगा।

भारत सरकार ने 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम', 1996 अधिसूचित किया (अक्टूबर 1996) जिसमें नियोक्ताओं द्वारा किये गये निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत की दर पर उपकर लगाने का प्रावधान था। भारत सरकार ने 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम', 1998 (नियम) भी अधिसूचित किये (मार्च 1998) जिनमें प्रावधान था कि जहां उपकर एक सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू),

को भवन एवं अन्य निर्माण से संबंधित है, वहां सरकार अथवा पीएसयू ऐसे कार्यों के लिए चुकाये गये बिलों से अधिसूचित दरों पर देय उपकर की कटौती करेगी।

राजस्थान सरकार ने नियमानुसार बोर्ड गठित किया (अप्रैल 2009) एवं 'राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (सेवा की शर्तें एवं नियोजन के विनियम) नियम' 2009 अधिसूचित किये (30 अप्रैल 2009)। राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकार के विभागों एवं पीएसयूज को भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए चुकाये गये बिलों से एक प्रतिशत की दर पर उपकर की कटौती करने के लिए निर्देशित किया (9 जुलाई 2010)। अधिसूचना में निर्देशित था कि उपकर राजस्थान राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं पर काटा जायेगा तथा 27 जुलाई 2009 उपकर लगाने एवं संग्रहण के लिए कट ऑफ तिथि[7] मानी जायेगी।

कम्पनी ने श्रम उपकर के पेटे 2009-15 के दौरान बीजीआर एनर्जी के बिलों में से ₹ 48.21 करोड़ की कटौती की तथा उसे समय-समय पर राज्य सरकार के पास जमा कराया। बीजीआर एनर्जी ने कम्पनी को श्रम उपकर के लागू नहीं होने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन दिये (2010 से 2012) तथा इन आधारों पर काटी गई राशि के पुनर्भरण का दावा किया कि कार्यादेश के वाक्यांश 1 एवं 2 के अनुसार अनुबंध मूल्य स्थिर था तथा तकनीकी-वाणिज्यिक निविदाएं राज्य सरकार द्वारा उपकर लगाने (27 जुलाई 2009) से पूर्व खोली गयी थी (10 जनवरी 2008)।

कम्पनी ने इस विषय पर एक कर सलाहकार[8] की राय ली (नवम्बर 2012)। सलाहकार ने सुझाया (नवम्बर 2012) कि कम्पनी अनुबंध प्रलेखों की विवेचना के लिए कानूनी राय ले सकती है। तथापि, कम्पनी ने इस मामले पर कानूनी राय नहीं ली तथा ठेकेदार को ₹ 48.21 करोड़ (मार्च 2016 तक) का पुनर्भुगतान किया (जनवरी 2013 से नवम्बर 2015)।

हमने देखा कि कानूनी राय लिये बिना अपने स्रौतों से श्रम उपकर की काटी गई राशि को पुनर्भुगतान करने का कम्पनी का निर्णय न्यायसंगत नहीं था क्योंकि राज्य सरकार की अधिसूचना (9 जुलाई 2010) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था कि उपकर की कटौती 27 जुलाई 2009 से राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं पर की जायेगी। एक पीएसयू होने के नाते कम्पनी को उपरोक्त वर्णित अधिनियम तथा नियमों के अनुसार उपकर काटना आवश्यक था। कार्यादेश के वाक्यांश 4 (स्रौत पर कर की कटौती) में भी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट था कि अनुबंध की वैद्यता के दौरान यदि राज्य अथवा केन्द्र सरकार स्रौत पर कटौती किये जाने वाला कोई अन्य कर प्रभाव में लाती है तब विद्यमान नियमानुसार इसकी स्रौत पर कटौती की जायेगी तथा कम्पनी द्वारा इसे पुनर्भरित नहीं किया जायेगा।

कम्पनी ने अपने उत्तर तथा निकास सभा के दौरान बताया कि इस मामले में राजस्थान के महाधिवक्ता की राय ली जा रही थी तथा महाधिवक्ता की राय के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

---

7 प्रयोज्य तिथि जिससे उपकर लगाया तथा संग्रहण किया जायेगा।

8 मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी।

सिविल कार्य

2.18 सलाहकार द्वारा तैयार की गई (अक्टूबर 2007) डीपीआर में भूमि की लागत के अतिरिक्त ₹ 627.70 करोड़ के सिविल कार्यों की परिकल्पना की गई थी। तथापि, सिविल कार्यों की वास्तविक लागत, अनुमानों से उल्लेखनीय रूप से अधिक रही। सिविल कार्यों के निष्पादन के लिये बीजीआर एनर्जी को दिये गये (13 अक्टूबर 2008) कार्यादेश में संयत्र को स्थापित करने की ही लागत ₹ 1022.15 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, परियोजना के निष्पादन के दौरान जल संग्रहण प्रणाली एवं रेलवे साइडिंग के निर्माण में नियोजन की विफलता से सिविल कार्यों की लागत में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी हुई। कम्पनी ने केएटीपीपी पर सिविल कार्यों के संबंध में निम्न मुख्य अनुबंध प्रदान किये।

कार्यादेश/ अनुबंध का विवरण	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश जारी करने की तिथि	कार्यादेश की राशि (₹ करोड़ में)
सेवाएं प्रदान करना एवं सिविल कार्यों का निष्पादन	बीजीआर एनर्जी लिमिटेड	13 अक्टूबर 2008	1022.152
बांध का निर्माण	जल संसाधन विभाग	उपलब्ध नहीं	799.00
रेलवे साइडिंग का निर्माण	इरकॉन, नई दिल्ली	22 दिसम्बर 2009	लागत प्लस फेक्टर आधार पर। मार्च 2015 तक किया गया व्यय ₹ 163.83 करोड़
टाउनशिप का निर्माण	माण्डा डेवलपर एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर	17 मई 2008	82.89
नदी जल प्रणाली के लिए इंजिनियरिंग एवं आपूर्ति	आइवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चरर्स एण्ड प्रोजेक्टस लिमिटेड	30 दिसम्बर 2010	77.85
जल के लिये अतिरिक्त जलाशय का निर्माण	माण्डा डेवलपर एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर	22 नवम्बर 2012 एवं 24 अप्रैल 2015	67.68
बाउंड्री वाल का निर्माण	जीएमएम कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	26 मई 2009	5.18
फील्ड हॉस्टल का निर्माण	मुरारीलाल सिंघल	18 दिसम्बर 2009	2.64
डीजल हाइड्रोलिक शंटिंग लोकोमोटिव की आपूर्ति एवं स्थापना	एसएएन इंजिनियरिंग एण्ड कम्पनी	15 जून 2012	16.49
बीईएमएल मेक डॉजर की आपूर्ति एवं स्थापना	बीईएमएल	20 जून 2012	6.40

सिविल कार्यों की लागत में बढ़ोतरी के मुख्य कारणों की चर्चा नीचे की गई है।

बांध का निर्माण

2.19 डीपीआर में परिकल्पित था कि केएटीपीपी के लिए जल का स्रोत विद्युत संयंत्र से 12 किमी की हवाई दूरी पर स्थित कालीसिंध नदी होगी। जल नदी से संयंत्र परिसर में स्थित जलाशय में पम्प किया जाना प्रस्तावित था। जल संग्रहण प्रणाली की कुल लागत ₹ 50 करोड़ परिकल्पित की गयी थी। जल संरक्षण प्रणाली का निर्माण सितम्बर 2010 तक पूरा किया जाना था।

कम्पनी, ऊर्जा विभाग (जीओआर) तथा जल संसाधन विभाग (जीओआर) के बीच हुई सभाओं (24 फरवरी 2007 तथा 26 मई 2007) में केएटीपीपी की जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कालीसिंध मुख्य सिंचाई परियोजना (बांध) का निर्माण करने का निश्चिय किया। प्रस्तावित बांध की लागत कम्पनी तथा जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) द्वारा क्रमशः 2:3 के अनुपात में बांटी जानी थी।

हमने देखा कि डब्ल्यूआरडी ने सभाओं में किये गये निर्णयानुसार बांध के निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया तथा सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की गई। कम्पनी ने, किसी समझौते के निष्पादन किये बिना ही, 2007-16 के दौरान बांध के निर्माण के लिए डब्ल्यूआरडी को ₹ 696.37 करोड़ जारी किये। डब्ल्यूआरडी ने बांध के निर्माण के लिए ₹ 586.13 करोड़ व्यय किये, आनुपातिक प्रभारों (स्थिर उपरिव्यय) के पेटे ₹ 100.18 करोड़ समायोजित किये तथा शेष ₹ 10.06 करोड़ के कोष इसके पास बिना खर्च किये बचे हुए थे।

हमने देखा कि डब्ल्यूआरडी द्वारा कालीसिंध नदी पर एक बांध का निर्माण कम्पनी द्वारा केएटीपीपी को स्थापित करने के निर्णय से पूर्व ही नियोजित था। केवल कम्पनी ही बांध की एक मात्र हिताधिकारी नहीं थी क्योंकि डब्ल्यूआरडी ने नजदीकी गांवों को जलापूर्ति की तथा उसे प्रभारित किया। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूआरडी ने बांध से केएटीपीपी को जलापूर्ति करने के लिए कम्पनी पर बिल (मार्च 2016 तक ₹ 1.44 करोड़) भी जारी किये।

कम्पनी ने डब्ल्यूआरडी द्वारा आनुपातिक प्रभारों सहित बांटे जाने वाली बांध की लागत को वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार, बांध के निर्माण ने परियोजना की लागत को ₹ 696.37 करोड़ से बढ़ा दिया। इसने विद्युत उत्पादन की लागत के साथ साथ आरईआरसी द्वारा उच्च टैरिफ के अनुमोदन को भी प्रभावित किया क्योंकि बांध की लागत परियोजना की पूंजीगत लागत का भाग थी।

कम्पनी ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव, डब्ल्यूआरडी के संप्रेषणानुसार (29 अप्रैल 2008) बांध की कुल लागत इसके द्वारा वहन की जानी थी। संचालक मण्डल ने भी अनुमोदित किया (26 मार्च 2010) कि कालीसिंध नदी पर एनीकट की उंचाई बढ़ाने के निर्माण की लागत के साथ सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि सम्प्रेषण (29 अप्रैल 2008) डब्ल्यूआरडी (जीओआर) तथा एमओईएफ (जीओआई) के मध्य हुआ था तथा पत्र की एक प्रति कम्पनी को प्रेषित की गई थी। राज्य सरकार ने कम्पनी/ डब्ल्यूआरडी को कोई निर्देश जारी नहीं किया कि बांध की सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी। डब्ल्यूआरडी ने कम्पनी से चर्चा किये बिना एमओईएफ को सूचित किया कि सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी तथा उसे कम्पनी के संचालक मण्डल ने स्वीकार कर लिया। यह फरवरी/ मई 2007 में आयोजित सभाओं में लिये गये निर्णय के विरुद्ध भी था।

निकास सभा में, कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया कि लागत को बांटने का मामला राज्य सरकार के पास ले जाया जायेगा।

फील्ड पर्यवेक्षण प्रभारों पर परिहार्य व्यय

2.20 कम्पनी ने रेलवे साइडिंग[9] के डिजाइन, इंजिनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण, संस्थापन एवं स्थापना का कार्य लागत सहित फेक्टर (आठ प्रतिशत) आधार पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली (इरकॉन) को प्रदान किया (22 दिसम्बर 2009)। कार्यादेश की शर्तों के अनुसार फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभारों[10] के पेटे इरकॉन को किये जाने वाले वास्तविक भुगतान को 22 माह की पूर्णता अवधि के दौरान आठ प्रतिशत ठेकेदार की फीस के साथ ₹ 1.50 करोड़ तक सीमित किया गया था। 22 माह की अवधि की गणना इरकॉन द्वारा अधिकार पत्र (एलओए) की स्वीकृति (8 अक्टूबर 2009) की तिथि से की जानी थी। इस प्रकार, कार्यादेश में दर्शाये गये फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभार सम्पूर्ण कार्य की पूर्णता तिथि अर्थात 8 अगस्त 2011 तक लागू थे। यदि कम्पनी के कारण 22 माह के पश्चात देरी होती तो फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभार पारस्परिक रूप से विचार विमर्श कर निश्चित किये जाने थे।

हमने देखा कि इरकॉन निर्दिष्ट समयावधि में कार्य को पूर्ण नहीं कर सका तथा कम्पनी ने फरवरी 2012 से अक्टूबर 2015 के दौरान सात[11] बार कुल 50 माह की अवधि के लिए अनुबंध की अवधि को बढ़ाया। इरकॉन ने पर्यावरणीय मंजूरी की अनुपलब्धता, निर्बाध भूमि की अनुपलब्धता, भारी वर्षा, बीजीआर एनर्जी द्वारा कार्य करने के लिए खाली जगह उपलब्ध नहीं कराने इत्यादि को देरी का कारण बताया। तथापि, कम्पनी ने इस प्रकार बतायी गई देरी को कभी विश्लेषित नहीं किया। साथ ही, 22 माह की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभारों के भुगतान की शर्तों के बारे में भी कभी इरकॉन के साथ विचार विमर्श नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने मार्च 2015 तक इरकॉन द्वारा प्रस्तुत किये गये मासिक व्यय विवरण के आधार पर ₹ 1.62 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रभारों के अतिरिक्त फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभारों के पेटे ₹ 6.26 करोड़[12] चुकाये।

कम्पनी ने बताया कि इरकॉन ने 18 अगस्त 2011 को डीपीआर के अन्तिम अनुमोदन के बाद कार्यादेश के भाग-दो के कार्यों (निर्माण, संस्थापन, स्थापना तथा हैंडिंग ओवर) को शुरू किया था। उत्तर अनुबंध की शर्तों के अनुसार पर्यवेक्षण प्रभारों को निश्चित नहीं करने के मामले को संबोधित नहीं करता।

ईंधन की आपूर्ति–डेमरेज प्रभार

2.21 कोयला मंत्रालय (जीओआई) ने केएटीपीपी की ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को परसा ईस्ट एण्ड कांटे बसान (छत्तीसगढ़ राज्य) कोयला ब्लॉक

---

9 कार्य के क्षेत्र में रेलवे परिसर तथा विद्युत संयंत्र की बाउण्डरी एवं केएटीपीपी के परिसर को भी सम्मिलित किया गया।

10 फिल्ड पर्यवेक्षण प्रभारों में वेतन, विशेष वेतन, भत्ते प्रोत्साहन भत्ते एवं अन्य परिलाभ, भविष्य निधि में अंशदान, अवकाश यात्रा सुविधा, बोनस, चिकित्सा खर्चे, बीमा तथा क्षतिपूर्ति को सम्मिलित किया गया।

11 17 फरवरी 2012, 26 जुलाई 2012, 19 मार्च 2013, 06 जून 2013, 17 अक्टूबर 2013, 22 अक्टूबर 2014 एवं 05 अक्टूबर 2015।

12 ₹ 1.50 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रभारों पर 8 प्रतिशत के सेवा प्रभारों सहित।

आवंटित किया (19/25 जून 2007)। कम्पनी ने 30 वर्षों की अवधि के लिए कोयले का खनन एवं इसकी केएटीपीपी पर आपूर्ति के लिए परसा एण्ड कांटे कोलरिज लिमिटेड (पीकेसीएल)[13] के साथ कोयले के खनन एवं आपूर्ति का अनुबंध किया (जुलाई 2008)।

रेलवे रेक्स की लोडिंग/ अनलोडिंग के लिए अनुमत्य समय से अधिक समय तक रुकने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा डेमरेज प्रभार लगाये जाते हैं। रेलवे मंत्रालय ने कोयला रेक्स की लोडिंग/ अनलोडिंग के लिए पांच घण्टे का मुक्त समय अनुमत्य किया (7 मार्च 2013)। मुक्त अनुमत्य समय के अतिरिक्त रेलवे वैगनों के ठहराव के लिए प्रति आठ टायर वाले वैगन के लिए प्रति घण्टे या उसके किसी भाग पर ₹ 150 की दर से डेमरेज प्रभारों को लगाया गया (22 मार्च 2013)। वर्ष 2013-16 के दौरान केएटीपीपी पर प्राप्त कोयला रेक्स की संख्या, डेमरेज प्रभार लगने वाले रेक्स तथा रेलवे द्वारा लगाये गये डेमरेज प्रभार निम्न थेः

वर्ष	प्राप्त कोयला रेक्स की संख्या	डेमरेज प्रभार लगने वाले रेक्स की संख्या	डेमरेज प्रभार लगने वाले रेक्स की प्रतिशतता	रेलवे द्वारा लगाये गये डेमरेज प्रभार (₹ लाख में)
2013-14	05	05	100.00	11.63
2014-15	290	251	86.55	287.03
2015-16	886	602	67.95	133.35
कुल	**1181**	**858**	**72.65**	**432.01**

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान केएटीपीपी पर प्राप्त की गई 1181 रेक्स में से 858 रेक्स (72.65 प्रतिशत) को पांच घण्टे की अनुमत्य समय सीमा से अधिक समय में खाली किया गया तथा इस प्रकार, ₹ 4.32 करोड़ के डेमरेज प्रभार लगे। पांच घण्टे की अनुमत्य समय सीमा के अतिरिक्त रेलवे वैगन को 54 घण्टे तक की अतिरिक्त अवधि के लिए रोका गया। कम्पनी ने डेमरेज प्रभारों को माफ करने के लिए रेलवे अधिकारियों को विभिन्न कारण यथा इलैक्ट्रीकल एवं मैकेनिकल समस्याएं, कोयला रेक्स का एकत्रित होना, क्रशर एवं कन्वेयर बैल्ट में रूकावट इत्यादि बताते हुए अभ्यावेदन दिया। तथापि, रेलवे ने डेमरेज प्रभारों की मामूली राशि ₹ 8.04 लाख माफ की।

कम्पनी ने, इस प्रकार, 2013-16 के दौरान डेमरेज प्रभारों के पेटे ₹ 4.24 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि रेक्स के एकत्रित होने एवं रेलवे ट्रैक का विद्युतिकरण नहीं होने जैसे विभिन्न कारणों की वजह से प्रारम्भिक स्थापना अवधि के दौरान डेमरेज प्रभार चुकाये जाने आवश्यक थे। इसने आगे बताया कि अब ट्रैक का विद्युतिकरण किया जा चुका था तथा कोयला रेक्स की अनलोडिंग की प्रणाली में सुधार करते हुए रेक्स के एकत्र होने को कम किया जा चुका था।

13 पीकेसीएल, अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच दिनांक 3 अगस्त 2007 को संयुक्त साहस समझौते की शर्तों के तहत एक संयुक्त साहस कम्पनी है।

केएटीपीपी की परिचालनात्मक दक्षता

कम्पनी ने प्रथम (19 जून 2014) एवं द्वितीय इकाई (6 नवम्बर 2015) के लिए आरईआरसी के पास वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) टैरिफ याचिका दायर की। आरईआरसी ने प्रथम एवं द्वितीय इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ एवं एआरआर क्रमशः 14 मई 2015 एवं 21 जनवरी 2016 को अनुमोदित की। प्रथम एवं द्वितीय इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ क्रमशः ₹ 4.216 प्रति केडब्ल्यूएच एवं ₹ 3.683 प्रति केडब्ल्यूएच निश्चित की। आरईआरसी ने प्रथम इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ में कोयले की जीसीवी के लिए मानदण्ड; प्लाण्ट लोड फेक्टर; स्टेशन हीट रेट; ईंधन तेल (एचएफओ एवं एलडीओ) उपभोग, एवं सहायक उपभोग को भी अनुमोदित किया। द्वितीय इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ में ये मानदण्ड शामिल नहीं थे क्योंकि दोनों इकाइयां प्रकृति में एक समान थी एवं इसलिए प्रथम इकाई के लिए अनुमोदित मानदण्ड द्वितीय इकाई के लिए भी लागू थे। इसलिए, द्वितीय इकाई के संबंध में निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई गणना, प्रथम इकाई के लिए आरईआरसी द्वारा नियत मानदण्डों पर आधारित है।

प्लाण्ट लोड फेक्टर (पीएलएफ)

2.22 पीएलएफ एक विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली अधिकतम संभव निर्गत की तुलना में इसकी वास्तविक निर्गत का मापक है।

केएटीपीपी की प्रथम एवं द्वितीय इकाई प्रत्येक की स्थापित क्षमता 600 एमडब्ल्यू है। डीपीआर में 10512 एमयूज का वार्षिक सकल विद्युत उत्पादन तथा 80 प्रतिशत के औसत[14] प्लाण्ट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर 8409.60 एमयूज का शुद्ध विद्युत प्रेषण परिकल्पित था। प्रथम एवं द्वितीय इकाई क्रमशः 7 मई 2014 एवं 25 जुलाई 2015 को स्थापित की गई। 80 प्रतिशत पीएलएफ पर अनुमानित विद्युत उत्पादन की तुलना में 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान प्रथम एवं द्वितीय इकाई द्वारा विद्युत का वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार थाः

एमयूज में विद्युत उत्पादन	प्रथम इकाई		द्वितीय इकाई
	2014-15 (7 मई 2014 से 31 मार्च 2015)	2015-16	2015-16 (25 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016)
80 प्रतिशत पीएलएफ पर अनुमानित विद्युत उत्पादन	3790.08	4204.80	2883.62
वास्तविक उत्पादन	1147.39	3570.70	2350.50
कमी	2642.69	634.10	533.12

इसके अतिरिक्त, प्रथम इकाई के लिए आरईआरसी ने अनन्तिम टैरिफ में 83 प्रतिशत पर पीएलएफ मानदण्ड निर्धारण किया। अपने परिचालन की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय इकाई द्वारा प्राप्त पीएलएफ निम्न प्रकार थाः

14 वर्ष 2014-15 के दौरान एनटीपीसी का औसत पीएलएफ 80.23 प्रतिशत था।

पीएलएफ (प्रतिशतता में)	प्रथम इकाई		द्वितीय इकाई
	2014-15	2015-16	2015-16
आरईआरसी द्वारा निश्चित पीएलएफ	83.00	83.00	83.00
प्राप्त किया गया पीएलएफ	24.22	67.75	65.03

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान प्रथम एवं द्वितीय इकाई द्वारा प्राप्त पीएलएफ आरईआरसी द्वारा निश्चित किये गये मानदण्डों से बहुत कम था। मासिक प्रतिवेदनों से इंगित हुआ कि प्रथम इकाई ने केवल तीन माहों अर्थात अक्टूबर 2015, दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 में पीएलएफ के मानदण्डों को प्राप्त किया जिनमें पीएलएफ क्रमशः 86.76, 89.31 एवं 84.95 प्रतिशत था। द्वितीय इकाई ने केवल दो माहों अर्थात जनवरी 2016 एवं मार्च 2016 में पीएलएफ मानदण्डों को प्राप्त किया जिनमें पीएलएफ क्रमशः 84.40 एवं 83.10 प्रतिशत था।

निम्न पीएलएफ के लिए मुख्य कारण स्थापना के बाद इकाइयों का अस्थिरीकरण; जबरन उत्पादन ठप होने; एसएलडीसी के निर्देशों के कारण संयंत्र का बैक डाउन होना; इत्यादि थे। आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों से कम पीएलएफ के कारण 2014-16 के दौरान ₹ 1744.06 करोड़[15] मूल्य की 4217.86 एमयूज के उत्पादन में अनुमानित कमी होने की गणना की गई।

कम्पनी ने बताया कि प्रथम इकाई की स्थापना के समय पर घटित प्रारम्भिक समस्याओं के कारण पीएलएफ कम था। इसने यह भी बताया कि 2015-16 के दौरान संयंत्र का शुद्ध पीएलएफ राष्ट्रीय औसत (62.29 प्रतिशत) से अधिक था। तथ्य यही रहा कि दोनों इकाइयां आरईआरसी द्वारा निश्चित किये गये पीएलएफ को प्राप्त नहीं कर सकी।

संयंत्र की उपलब्धता तथा आउटेज

2.23 संयंत्र की उपलब्धता से आशय एक निश्चित अवधि के दौरान एक संयंत्र के परिचालन के वास्तविक घण्टों से परिचालन के लिए उपलब्ध अधिकतम घण्टों के अनुपात से है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), जीओआई द्वारा निर्धारित सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता फैक्टर 2014-19 के दौरान सभी तापीय स्टेशनों के लिए 85 प्रतिशत है। प्रथम इकाई की संयंत्र उपलब्धता 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान क्रमशः 43.88 प्रतिशत एवं 82.30 प्रतिशत थी। द्वितीय इकाई की संयंत्र उपलब्धता 2015-16 के दौरान 77.92 प्रतिशत थी। कुल उपलब्ध परिचालन घण्टे; वास्तविक परिचालन घण्टे; नियोजित आउटेज; फोर्स्ड आउटेज; एवं कुल मिलाकर 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान प्रथम एवं द्वितीय इकाई के संबंध में संयंत्र उपलब्धता निम्न प्रकार थीः

विवरण	प्रथम इकाई		द्वितीय इकाई
	2014-15	2015-16	2015-16
कुल उपलब्ध परिचालन घण्टे (अ)	7896.00	8784.00	6024.00
वास्तविक परिचालन घण्टे (ब)	3464.55	7229.45	4694.12
नियोजित आउटेज (घण्टों में) (स)	0.00	613.25	412.93
फोर्स्ड आउटेज (घण्टों में) [(द=अ-(ब+स)]	4431.45	941.30	916.95
कुल घण्टों से फोर्स्ड आउटेज की प्रतिशतता [द/अ]	56.12	10.72	15.22
संयंत्र उपलब्धता (प्रतिशत) [ब/अ x 100]	43.88	82.30	77.92

15 प्रथम एवं द्वितीय इकाई के लिए आरईआरसी द्वारा अनुमोदित की गई अनन्तिम टैरिफ क्रमशः ₹ 4.216 एवं ₹ 3.683 की दर पर मूल्यांकित।

यह देखा जा सकता है कि प्रथम इकाई 2014-15 के दौरान फोर्स्ड आउटेज के कारण कुल उपलब्ध 7896 परिचालनात्क घण्टों में से 4431.45 घण्टे (56.12 प्रतिशत) अचालित रही। इससे इंगित हुआ कि प्रथम इकाई को स्थापित करने के बाद इस अवधि के दौरान स्थिर नहीं किया जा सका। फोर्सड आउटेज के लिए बॉइलर टयूब लिकेज; जनरेटर एवं टरबाइन की ट्रिपिंग; बॉइलर ड्रम लेवल का उच्च/ निम्न स्तर इत्यादि मुख्य कारण थे जिनको संयंत्र के बेहतर परिचालन एवं रखरखाव से टाला जा सकता था।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि नई चाइनीज तकनीक को अपनाने से संबंधित विभिन्न तकनीकी समस्याओं/ बाधाओं के कारण दोनों इकाइयों की आउटेज उच्च रही। इसने आगे बताया कि इकाइयों के तीव्र एवं पूर्ण स्थिरीकरण के लिए तकनीक से परिचित होने में इतनी तत्परता नहीं थी।

स्टेशन हीट रेट

2.24 तापीय ऊर्जा केन्द्र की दक्षता निर्धारण करने के लिए स्टेशन हीट रेट (एसएचआर) एक महत्वपूर्ण सूचक है। एक ऊर्जा संयंत्र की हीट रेट, रासायनिक ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि विद्युत ऊर्जा की एक इकाई का उत्पादन करने के लिये आवश्यक होती है अर्थात एक किलोवाट-घंटा (केडब्ल्यूएच) विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिये किलो कैलोरी (केसीएएल) में आवश्यक तापीय ऊर्जा। प्रत्येक स्टेशन का यह प्रयास होना चाहिए कि जहां तक संभव हो इकाई का संचालन उसकी डिजाइन हीट रेट के निकटतम स्तर पर किया जाये। स्टेशन हीट रेट में सुधार, तापीय ऊर्जा केन्द्रों से होने वाले प्रदूषण को घटाने में भी सहायता प्रदान करता है।

प्रथम इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ निर्धारण करते समय आरईआरसी ने 2320.632 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवर एसएचआर निर्धारित की। प्रथम इकाई द्वारा प्राप्त की गई औसत एसएचआर 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान क्रमशः 2742.19 तथा 2598.87 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवर रही। द्वितीय इकाई द्वारा प्राप्त की गई औसत एसएचआर 2015-16 के दौरान 2606.16 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवर रही।

एसएचआर के अधिक प्रकरणों को तकनीकी समस्याओं यथा बॉइलर टयूब लिकेज, इकाई का ठप होना, रखरखाव इत्यादि एवं एसएलडीसी द्वारा लोड कम करने के निर्देशों के कारण होना बताया जिसके परिणामतः एसएचआर आरईआरसी मानदण्डों से उच्च रही। उच्च एसएचआर के परिणामतः ₹ 177.34 करोड़ (**अनुबंध-3**) मूल्य के 4.34 लाख एमटी कोयले का अधिक उपभोग हुआ।

कम्पनी ने इकाइयों के अस्थिरीकरण; बारम्बार ट्रिपिंग; एसएलडीसी के निर्देशों के कारण इकाइयों के बैक डाउन के कारण कम लोड पर इकाइयों के परिचालन की वजह से उच्च एसएचआर होने के कारण बताए। तथ्य यही रहा कि कम्पनी आरईआरसी द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों में एसएचआर को बनाए नहीं रख सकी।

ऑइल का अधिक उपभोग

2.25 हाई फरनेस ऑइल (एचएफओ) एवं लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) तापीय ऊर्जा संयंत्रों में शुरूआती अथवा इगनिशन ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आरईआरसी ने

प्रथम इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ में एचएफओ एवं एलडीओ के उपभोग के लिए 0.50 मिलिलीटर प्रति किलोवाट-घंटा (एमएल/ केडब्ल्यूएच) अर्थात एचएफओ के लिए 0.45 एमएल/ केडब्ल्यूएच एवं एलडीओ के लिए 0.05 एमएल/ केडब्ल्यूएच मानदण्ड निर्धारित किये (मई 2015)। निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध केएटीपीपी पर औसत ऑइल उपभोग 2014-15 के दौरान 11.156 एमएल/ केडब्ल्यूएच (प्रथम इकाई); एवं 2015-16 के दौरान 2.474 एमएल/ केडब्ल्यूएच (प्रथम इकाई) तथा 1.967 एमएल/ केडब्ल्यूएच (द्वितीय इकाई) था।

कम्पनी ने, इस प्रकार, आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों की तुलना में 22723 किलोलीटर की सीमा तक एचएफओ एवं एलडीओ का अधिक उपभोग किया जिसके परिणामतः 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान ईंधन लागत पर ₹ 99.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (**अनुबंध-4**)।

कम्पनी ने तेल के अधिक उपभोग के तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि राज्य में इस क्षमता एवं तकनीक की ये पहली इकाइयां थी तथा यह अपेक्षा की गई थी कि प्रथम इकाई की स्थापना के समय पर प्रारम्भिक समस्याएं होंगी। इसने आगे बताया कि इकाइयां एसएलडीसी के निर्देशानुसार बैक डाउन की गई तथा ऑइल का सहारा लेना पड़ा जिसने भी ऑयल उपभोग को बढ़ाने में योगदान दिया।

सहायक उपभोग

2.26 एक विद्युत संयंत्र में सहायक उपभोग को संयंत्र के सही संचालन के लिए शेष संयंत्र के उपकरणों द्वारा उपभोग की गई विद्युत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। केएटीपीपी की डीपीआर में सहायक उपभोग छः प्रतिशत पर परिकल्पित किया गया था जबकि प्रथम इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ में आरईआरसी ने 5.25 प्रतिशत सहायक उपभोग को अनुमत किया। प्रथम एवं द्वितीय इकाई का सहायक उपभोग उनके परिचालन की अवधि के दौरान आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक निम्नानुसार थाः

इकाई एवं परिचालन अवधि	सकल उत्पादन (एमयूज)	सहायक उपभोग (एमयूज)			
		आरईआरसी के मानदण्ड	वास्तविक	वास्तविक (प्रतिशतता में)	आधिक्य
प्रथम इकाई					
7 मई 2014 से 31 मार्च 2015	1147.39	60.24	89.76	7.82	29.52
अप्रैल 2015 से मार्च 2016	3570.70	187.46	244.90	6.86	57.44
द्वितीय इकाई					
25 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016	2350.50	123.40	164.14	6.98	40.74

दोनों इकाइयों का वास्तविक सहायक उपभोग 2014-16 के दौरान 6.86 प्रतिशत से 7.82 प्रतिशत के मध्य रहा। सहायक उपभोग आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप 127.70 एमयूज की हानि हुई जिसे ग्रिड में प्रेषित किया जा सकता था एवं ₹ 51.67 करोड़ की आय सृजित की जा सकती थी।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सहायक उपभोग के मानदण्डों को बढ़ाने के लिए आरईआरसी के सम्मुख याचिका दायर करने के लिए एक प्रतिवेदन बनाया एवं प्रस्तुत किया जा चुका है।

पर्यावरणीय मामले

2.27 कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थानीय पर्यावरण को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्माण एवं चालू परिचालनों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष प्रभावों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है:

- वायु प्रदूषण - कण, सल्फर डाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड एवं अन्य खतरनाक रसायन एवं जहरीली धातुएं जैसे पारा, सीसा इत्यादि।
- जल प्रदूषण - बहिःस्राव उत्सर्जन से स्थानीय जल प्रवाह, नदियों एवं भू जल में तथा भण्डारित फ्लाई ऐश से खतरनाक पदार्थों का रिसाव।
- भूमि निम्नीकरण - फ्लाई ऐश के भण्डारण के लिए प्रयुक्त भूमि के परिवर्तनों के कारण घटित।
- ध्वनि प्रदूषण –संयंत्र परिचालन के दौरान घटित एवं वृतिक के साथ साथ जन स्वास्थ्य संकट।

एमओईएफ, जीओआई ने उत्पादन परिचालन प्रारम्भ करने के लिए केएटीपीपी को पांच वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की (फरवरी 2009)। ईसी की शर्त संख्या 3 (XXVII) के अनुसार, निर्दिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षा के क्रियान्वयन के लिए कम्पनी को केएटीपीपी पर योग्य कर्मचारियों के साथ एक अलग पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करना आवश्यक था। तथापि, कम्पनी ने केएटीपीपी पर पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया (जुलाई 2016)।

कम्पनी ने बताया कि मुख्य अभियंता, केएटीपीपी के नियंत्रणान्तर्गत पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ को स्थापित किया जा रहा था।

स्टेक एमिशन मापदण्ड

2.28 एमओईएफ, भारत सरकार ने 'पर्यावरण (सुरक्षा) नियम' 1986 को संशोधित किया (दिसम्बर 2015) तथा 1 जनवरी 2003 एवं 31 दिसम्बर 2016 के मध्य स्थापित तापीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए स्टेक एमिशन मापदण्ड निर्धारित किये। तापीय ऊर्जा संयंत्रों को अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि (8 दिसम्बर 2015) से दो वर्ष में मापदण्डों को प्राप्त किया जाना आवश्यक था।

केएटीपीपी की प्रथम इकाई 7 मई 2014 को स्थापित की गई लेकिन कम्पनी ने स्टेक एमिशन मापदण्डों की निगरानी 1 नवम्बर 2015 से शुरु की। कम्पनी ने देखा कि बीजीआर एनर्जी द्वारा स्थापित किये गये उपकरणों ने स्टेक एमिशन के मापदण्डों को असामान्य रूप से उच्च स्तर पर अभिलेखित किया। साथ ही, उपकरणों ने नकारात्मक परिणाम भी अभिलेखित किये तथा कभी कभी यह खराब भी रहे। कम्पनी ने, इसलिए, एसएमएस एन्वोकेयर लिमिटेड से एक तृतीय पक्ष निरीक्षण करवाया (21 मार्च 2016)। तृतीय पक्ष निरीक्षण द्वारा मापे गये स्टेक एमिशन मापदण्ड एमओईएफ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के समक्ष निम्नानुसार थे:

मापदण्ड	एमओईएफ द्वारा निर्धारित मापदण्ड (मिलिग्राम प्रति सामान्य घन मीटर प्रति घंटा)	तृतीय पक्ष द्वारा मापे गये परिणाम	
		प्रथम इकाई	द्वितीय इकाई
पारा (एचजी)	0.03 एमजी/एनएम^3	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पारटीकूलेट मैटर	50 एमजी / एनएम^3	47.46	74.32
सल्फर डाइ ऑक्साइड	200 एमजी/ एनएम^3	1540.97	1787.33
नाइट्रोजन के ऑक्साइड	300 एमजी / एनएम^3	415.36	481.77

तृतीय पक्ष निरीक्षण के परिणामों ने दर्शाया कि केएटीपीपी ने एमओईएफ द्वारा निर्धारित स्टेक एमिशन मापदण्डों को नहीं बनाए रखा।

हमने देखा कि कम्पनी को सल्फर डाइ ऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन होने को नियंत्रित करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन संयंत्र स्थापित करना तथा फायरिंग प्रणाली में सुधार करना अथवा नाइट्रोजन के ऑक्साइडस को अधिक छोड़ने को समाप्त करने के लिए डीनाइट्रोजन ऑक्साइड प्रणाली लगाना आवश्यक था। निविदा पूर्व सभा के दौरान निविदादाताओं ने विशेष रूप से कम्पनी से इस बारे में पुछताछ की थी (अक्टूबर 2007) फिर भी कम्पनी ने फ्लू गैस डीसल्फराइजेन प्लाण्ट स्थापित करने की योजना नहीं बनाई। तथापि, कम्पनी, पर्यावरणीय मानदण्डों की प्राप्ति के लिए अपने कोर्पोरेट कार्यालय में एक कार्य योजना प्रस्तुत कर चुकी थी (अप्रैल 2016)।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी के सभी संयंत्रों द्वारा स्टेक एमिशन मापदण्डों को प्राप्त करने के लिए कोर्पोरेट कार्यालय द्वारा संभावनाएं तलाशी जा रही थी।

वायु एवं ध्वनि प्रदूषण

2.29 एमओईएफ ने पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 को संशोधित किया (16 नवम्बर 2009) तथा वायु के लिए मुख्य प्रदुषकों के लिए निश्चित मानदण्ड निर्धारित किये। कम्पनी ने प्रथम इकाई की स्थापना की तिथि से लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी एमओईएफ द्वारा निर्धारित प्रदुषकों को मापने के लिए केएटीपीपी पर उपकरण स्थापित नहीं किये।

कम्पनी ने बताया कि तीन ऑफलाइन एवं एक ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किये जा चुके थे तथा वायु गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए तृतीय पक्ष एजेन्सी को लगाया गया था।

एक तापीय विद्युत केन्द्र पर ध्वनि प्रदूषण के स्रौत स्टीम टरबाइन जनरेटर; अन्य घूर्णन उपकरण; दहन प्रेरित ध्वनि; प्रवाह प्रेरित ध्वनि तथा स्टीम सेफ्टी वाल्व हैं। एमओईएफ ने ध्वनि प्रदुषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 संशोधित किये (9 मार्च 2009) जिनमें प्रावधान था कि एक सार्वजनिक स्थल जहां ध्वनि का कोई स्रौत प्रयुक्त किया जा रहा हो, की चारदीवारी पर ध्वनि का स्तर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित व्यापक ध्वनि मानदण्डों से 10 डेसिबल (डीबी) से अधिक अथवा 75 डीबी जो दोनों में कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

तथापि, कम्पनी ने केएटीपीपी पर ध्वनि के स्तर को मापने के लिए उपकरण स्थापित नहीं किये (मार्च 2016) इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ध्वनि स्तर निर्धारित मानदण्डों की सीमा में थे।

कम्पनी ने बताया कि ध्वनि के स्तर को मापने के लिए उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रौतों जैसे टरबाइन पर ध्वनिक प्रणाली लगाई गई थी तथा उच्च ध्वनि वाले क्षेत्रों में कर्मकारों को व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जैसे इयर मफ्स/ इयर प्लग्स उपलब्ध कराये जा रहे थे। साथ ही, कम्पनी, विभिन्न ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के ध्वनि की निगरानी रखने के लिए भी योजना बना रही थी।

वित्तीय प्रबंधन

ऋण की किस्तों के भुगतान में चूक के लिए शास्ति

2.30 पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने केएटीपीपी को स्थापित करने के लिए कम्पनी के प्रस्तावों[16] (सितम्बर 2007 से अगस्त 2014) के विरुद्ध ₹ 6583.61 करोड़ का ऋण स्वीकृत[17] किया (मार्च 2008 से सितम्बर 2014)। पीएफसी द्वारा जारी की गई स्वीकृति के वाक्यांश 2.1 में प्रावधान था कि ऋणी प्रत्येक वितरण की तिथि पर निर्धारित ब्याज की दर पर समय-समय पर लागू दर पर ब्याज कर सहित, ऋण पर ब्याज का भुगतान करेगा। ब्याज की किस्त एवं ब्याज कर त्रैमासिक रूप से प्रत्येक वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के 15वें दिन देय था। ऋणी, किस्तों के समय पर भुगतान करने पर लागू ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की छूट के लिए पात्र था। साथ ही, वाक्यांश 6.1 में प्रावधान था कि जिस दर पर ऋण स्वीकृत किया गया था ऋणी उस ब्याज दर से दो प्रतिशत अधिक दर से शास्ति ब्याज चुकायेगा यदि ब्याज/ ब्याज कर अथवा मूलधन की राशि का देय तिथि पर भुगतान नहीं किया गया। शास्ति ब्याज त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि होना था।

कम्पनी ने पीएफसी को ब्याज/ मूलधन के भुगतान में पांच[18] बार (जुलाई 2012 से अक्टूबर 2015) चूक की। परिणामस्वरूप, कम्पनी को शास्ति ब्याज एवं उस पर ब्याज के रूप में पीएफसी को ₹ 8.47 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। साथ ही, कम्पनी किस्तों के समय पर भुगतान के पेटे ₹ 18.15 करोड़ की छूट भी प्राप्त नहीं कर सकी।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी विद्युत के विक्रय के लिए विद्युत वितरण कम्पनियों से नियमित भुगतान नहीं मिलने के कारण वित्तीय समस्या का सामना कर रही थी। पीएफसी से प्राप्त ऋण कोष, विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अन्य परिचालित विद्युत संयंत्रों के लिए उपयोग किये गये क्योंकि इन इकाइयों को परिचालित रखना उस समय की प्राथमिकता थी। साथ ही, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों ने भी विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों को और ऋण देने से मना कर दिया था। कम्पनी को इस अवधि के दौरान हानि हुई तथा ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त कोष उपलब्ध नहीं थे।

---

16 कम्पनी ने 11 सितम्बर 2007, 23 अगस्त 2011 तथा 22 अगस्त 2014 को ऋण के लिए प्रस्ताव भेजे।

17 31 मार्च 2008 को ₹ 3680 करोड़, 14 नवम्बर 2011 को ₹ 2498.40 करोड़ तथा 30 सितम्बर 2014 को ₹ 405.21 करोड़।

18 जुलाई 2012, अक्टूबर 2012, जुलाई 2013, अक्टूबर 2013 एवं अक्टूबर 2015।

स्थापना में देरी के कारण छूट नहीं लेना

2.31 प्रचलित नीति के अनुसार पीएफसी, परियोजना की प्रथम इकाई की स्थापना की तिथि से उत्पादन परियोजनाओं के लिए ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की छूट अनुमत करता है (2004)। उसी के अनुसार, पीएफसी, केएटीपीपी को स्थापित करने के लिए, लिये गये ऋण पर कम्पनी को 0.25 प्रतिशत की छूट देने पर सहमत हुआ (मई 2014)। हमने देखा कि केएटीपीपी की प्रथम इकाई बीजीआर एनर्जी को जारी किये गये एलओआई के अनुसार 9 अक्टूबर 2011 तक स्थापित की जानी थी। तथापि, स्थापित करने की वास्तविक तिथि 7 मई 2014 थी। इसलिए, कम्पनी प्रथम इकाई को स्थापित करने में 31 माह की देरी के कारण ₹ 35.40 करोड़ की छूट से वंचित रही।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि छूट से वंचित होना परियोजना को स्थापित करने में देरी का एक परिणामिक प्रभाव था।

प्रवेश शुल्क के भुगतान से छूट नहीं ले पाने के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार

2.32 जीओआर ने 'स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर राजस्थान कर अधिनियम, 1999' लागू किया (मार्च 1999) जिसमें उपभोग/ उपयोग/ विक्रय के उद्देश्य के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाये गये किसी माल के प्रवेश पर कर लगाने का प्रावधान था। अधिनियम की धारा 9 में राज्य सरकार को जन हित में प्रवेश कर के भुगतान से भावी अथवा भूतकालीन प्रभाव से पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से छूट दिये जाने की शक्ति प्रदान की गई।

कम्पनी ने राज्य सरकार से प्रवेश कर के भुगतान की छूट प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किये। हमने देखा कि निजी ऊर्जा उत्पादक/ अन्य सरकारी पीएसयूज/ निजी कम्पनियों[19] ने प्रवेश कर के भुगतान की छूट प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी जो उन्हें प्रदान की गई थी।

कम्पनी ने ₹ 19 करोड़ के प्रवेश कर की एकमुश्त राशि का अनुमान लगाया (मई 2011)। तथापि, बीजीआर एनर्जी को प्रवेश कर का वास्तविक पुनर्भरण 2009-14 के दौरान ₹ 22.74 करोड़ था। कम्पनी ने अनन्तिम टैरिफ के निर्धारण के लिए आरईआरसी के पास समग्र राजस्व आवश्यकता दायर की (जून 2014) तथा प्रवेश कर के पेटे किये गये भुगतान के विरुद्ध ₹ 19 करोड़ का दावा किया। आरईआरसी ने अनन्तिम टैरिफ में कम्पनी के दावों को अनुमोदित किया (मई 2015)।

कम्पनी द्वारा प्रवेश कर की छूट प्राप्त नहीं करने से, न केवल परियोजना की लागत में वृद्धि हुई बल्कि इसने उत्पादन की लागत बढ़ाकर, अन्ततः उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त भार डाला।

कम्पनी ने बताया कि, अनुबंध की शर्तों एवं लागू नियमों के अनुसार ही बीजीआर एनर्जी को प्रवेश कर का भुगतान किया गया। राज्य सरकार ने राज्य में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रवेश कर से छूट प्रदान की। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार ने सरकारी पीएसयूज को भी उनके आवेदन पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की। कम्पनी ने आगे यह भी बताया कि मामले को राज्य सरकार के पास ले जाया जायेगा।

19 अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (अप्रैल 2011), जयपुर मैट्रो रेल कोरपोरेशन लिमिटेड (दिसम्बर 2012), मंगलम सीमेंट लिमिटेड (जनवरी 2013) इत्यादि।

परियोजना लागत में पूर्जो की अतिरिक्त लागत को सम्मिलित नहीं करना

2.33 जीओआर की स्वीकृति (जून 2007) की शर्तों में 80:20 के अनुपात में ऋण-समता अनुपात में परियोजना के कोषीय ढ़ांचे का प्रावधान था अर्थात जीओआर 20 प्रतिशत समता सहायता उपलब्ध करायेगी तथा शेष 80 प्रतिशत कोषों की व्यवस्था कम्पनी द्वारा पीएफसी/ वाणिज्यिक बैंकों से उधारी के माध्यम से की जानी थी।

संयंत्र के लिए मुख्य बीटीजी उपकरण एवं सहायक सामग्री की आपूर्ति बीजीआर एनर्जी के माध्यम से डोंगफेंग इलैक्ट्रीक कम्पनी, चाइना (डीईसी चाइना) द्वारा की गई। बीटीजी पैकेज के अनिवार्य पुर्जे ईपीसी अनुबंध में शामिल किये गये थे लेकिन पुर्जों की व्यवस्था करने में कठिनाइयों, चाइना से आपूर्ति में लगने वाले समय एवं उत्पादन हानि को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने डीईसी चाइना तथा बीजीआर एनर्जी द्वारा सिफारिश किये गये अतिरिक्त पूर्जों के लिए ₹ 166 करोड़ के मोलभाव मूल्य पर बीजीआर एनर्जी को एक अतिरिक्त क्रयादेश दिया (जून 2015)।

परियोजना लागत को जून 2007 में ₹ 4600 करोड़ से मई 2011 में ₹ 7723.70 करोड़ तक तथा मार्च 2014 में अन्तिम रूप से ₹ 9479.51 करोड़ तक संशोधित किया गया। मार्च 2014 में संशोधित परियोजना लागत राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2014 में अनुमोदित की गयी। तथापि, कम्पनी ने परियोजना लागत में अतिरिक्त पुर्जों की लागत को सम्मिलित नहीं किया।

आरईआरसी 'टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तों के विनियम, 2014' के वाक्यांश 16 (6) में भी कट ऑफ तिथि तक पूंजीगत लागत के 2.5 प्रतिशत तक आरम्भिक पुर्जों के पूंजीकरण को अनुमत किया गया। इस प्रकार कम्पनी आरम्भिक पुर्जों के पेटे ₹ 236.99 करोड़[20] का पूंजीकरण करने के लिए अधिकृत थी। तथापि, कम्पनी ने अनिवार्य पुर्जों की लागत के पेटे केवल ₹ 51.21 करोड़ का पूंजीकरण किया।

इस प्रकार, कम्पनी ने परियोजना लागत को ₹ 166 करोड़ से कम आंकलित किया तथा यह राज्य सरकार से ₹ 33.20 करोड़ की 20 प्रतिशत समता सहायता पाने में विफल रही।

कम्पनी ने बताया कि संचालक मण्डल ने इस शर्त के अधीन पुर्जों की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की कि पुर्जों की लागत को केएटीपीपी की संशोधित परियोजना लागत (₹ 9479.51 करोड़) के विरुद्ध इसकी सीमा तक लेखांकित किया जा सकता था तथा परियोजना लागत से अधिक शेष पूर्जों की लागत, यदि हो, को विनियामक मानदण्डों के अनुसार इकाई के संचालन एवं रखरखाव के बजट के अन्तर्गत लिया जा सकता था। तथ्य यही रहा कि कम्पनी विनियमानुसार परियोजना लागत के 2.5 प्रतिशत तक पुर्जों की लागत का पूंजीकरण कर सकती थी जो कि नहीं किया गया जिसके कारण परियोजना लागत का कम आंकलन हुआ तथा राज्य सरकार से 20 प्रतिशत की समता सहायता प्राप्त नहीं हुई।

मेगा पॉवर परियोजना नीति के अन्तर्गत राजकोषीय परिलाभ नहीं लेना

2.34 विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने विद्युत संयंत्रों की स्थापना के द्वारा देश में समग्र विद्युत आपूर्ति परिदृश्य के उन्नयन को लक्ष्य बनाते हुए मेगा पॉवर परियोजना (एमपीपी) नीति की घोषणा की (नवम्बर 1995)। नीति में एमपीपीज को उत्पाद शुल्क एवं

20 ₹ 9479.51 करोड़ का 2.5 प्रतिशत।

सीमा शुल्क से छूट; पहले पन्द्रह वर्षों में से दस वर्षों के किसी भी खण्ड के लिए करावकाश; तथा विक्रय कर एवं अन्य स्थानीय करों से छूट जैसे कुछ परिलाभ दिये गये। यह माना गया कि ये छूटें टैरिफ में कमी लायेगी तथा सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की बढ़ती हुई लागत से राज्य विद्युत मण्डलों को अत्यावश्यक राहत प्रदान करेगी।

एमपीपी नीति के अनुसार, 1000 एमडब्ल्यू अथवा अधिक की क्षमता वाली परियोजनाएं, कुछ अन्य शर्तों जैसे विनियामक आयोग का गठन; विद्युत की अन्तर्राज्जीय बिक्री; एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (आईसीबी) रूट से निविदाएं करने, का पालन करने के बाद छूटों के लिए पात्र थी।

केएटीपीपी एमपीपी नीति के अन्तर्गत राजकोषीय परिलाभ लेने के लिए पात्र थी क्योंकि परियोजना की सामुहिक क्षमता 1200 एमडब्ल्यू थी तथा निविदाएं आईसीबी आधार पर आमंत्रित की गई थी। तथापि, कम्पनी ने कभी संभावनाएं तलाश नहीं की इसलिए यह राजकोषीय परिलाभों से वंचित रही जो आयातित आपूर्तियों पर करों एवं शुल्कों के पेटे गणना के अनुसार ₹ 431.30 करोड़ अनुमानित थे। साथ ही, केएटीपीपी राज्य सरकार द्वारा लगाये गये बिक्री कर/ वैट से भी मुक्त होती।

आरईआरसी ने प्रथम इकाई के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय परियोजना के लिए एमपीपी की स्थिति पर अनुमत्यता तथा एमपीपी नीति के परिलाभ लेने की दिशा में किये गये प्रयासों को स्पष्ट करने के लिए कहा। कम्पनी ने इस संबंध में आरईआरसी को कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया (मई 2016)।

यह ध्यान देने योग्य है कि कम्पनी के अन्य तापीय विद्युत संयंत्रों (1320 एमडब्ल्यू छबड़ा तापीय विद्युत संयंत्र एवं 1320 एमडब्ल्यू सूरतगढ़ तापीय विद्युत केन्द्र) को एमओपी द्वारा एमपीपी दर्जा दिया गया था।

कम्पनी ने बताया कि एमपीपी नीति के अन्तर्गत परिलाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत की अन्तर्राज्जीय बिक्री एक अनिवार्य शर्त थी जो पूरी नहीं की गई। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कम्पनी के संचालक मण्डल ने विद्युत की अन्तर्राज्जीय बिक्री के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देश दिये थे (जनवरी 2007) परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही, भारत सरकार विद्युत की अन्तर्राज्जीय बिक्री की शर्त को हटा चुकी थी (दिसम्बर 2009) लेकिन कम्पनी ने एमपीपी नीति के अन्तर्गत परिलाभ लेने के लिए संभावनाएं तलाश नहीं की।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना (केएटीपीपी) में अत्यधिक समय एवं लागत आधिक्य हुआ। परियोजना को स्थापित करने की वास्तविक लागत (₹ 9479.51 करोड़) अनुमानित लागत (₹ 4600 करोड़) से 106.08 प्रतिशत बढ़ गई। लागत आधिक्य मुख्य रूप से 'अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना' (ईपीसी) अनुबंध की लागत में बढ़ोतरी; जल संग्रहण प्रणाली; रेलवे साइडिंग के निर्माण; तथा समय आधिक्य के कारण ब्याज एवं वित्त लागत तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में अभिकल्पित नहीं किये गये कार्यों को शामिल करने के कारण हुई।

प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि क्रमशः 8 अक्टूबर 2011 तथा 8 जनवरी 2012 थी। इकाइयां 31 तथा 42 माह की देरी के बाद क्रमशः 7 मई 2014 तथा 25 जुलाई 2015 को स्थापित की गई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी (सात माह) तथा बीजीआर एनर्जी द्वारा विभिन्न मुख्य गतिविधियों की पूर्णता में समय अनुसूची की अनुपालना के अभाव को परियोजना की पूर्णता में देरी के कारण बताये गये। संचालक मण्डल ने कई बार परियोजना की पूर्णता में देरी के मामले की चर्चा की (मार्च 2009 से मई 2014) लेकिन मार्च 2009 से मई 2014 के मध्य शास्ति (एलडी) आरोपित किये जाने के मामले को छः बार स्थगित कर दिया।

हमारी सिफारिश है की कि कम्पनी को बीजीआर एनर्जी द्वारा की गई देरी की पहचान करनी चाहिए तथा अनुबंध की शर्तानुसार एलडी वसूल करनी चाहिए।

बीजीआर एनर्जी के अनुबंध का मूल्य स्थिर था तथा कम्पनी द्वारा 'निविदादाताओं को निर्देश' एवं 'अनुबंध की सामान्य शर्तों' (जीसीसी) के विभिन्न वाक्यांशों के अनुसार आयातित आपूर्तियों के लिए ₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर की स्थिर दर पर भुगतान किया जाना था। विनिमय दर के कारण किसी अंतर को बीजीआर एनर्जी द्वारा वहन किया जाना था। तथापि, कम्पनी ने एक यूएस डॉलर ₹ 44.32 से ₹ 66.88 की दर पर खरीदा एवं ₹ 295.29 करोड़ के विनिमय दर अंतर की वसूली किये बिना यूएस डॉलर में भुगतान किया। इस कारण कम्पनी पर केन्द्र/ राज्य सरकार को करों के भुगतान के पेटे ₹ 19.40 करोड़ का भी अतिरिक्त भार पड़ा। साथ ही, कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी (27 जुलाई 2009) अधिसूचना एवं कार्यादेश के वाक्यांशों के उल्लंघन में बीजीआर एनर्जी को ₹ 48.21 करोड़ के श्रम उपकर का पुनर्भुगतान किया।

हमारी सिफारिश है की कि कम्पनी को बीजीआर एनर्जी को किये गये भुगतान की समीक्षा करनी चाहिए तथा निविदा शर्तों/ जीसीसी के अनुसार विनिमय दर अंतर के पेटे किये गये अधिक भुगतानों की वसूली करनी चाहिए। कम्पनी द्वारा बीजीआर एनर्जी को पुनर्भुगतान किये गये श्रम उपकर की राशि की भी वसूली की जानी चाहिए।

कम्पनी, ऊर्जा विभाग (जीओआर) तथा राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के बीच हुई सभाओं (24 फरवरी 2007 तथा 26 मई 2007) के दौरान, डब्ल्यूआरडी कालीसिंध नदी पर बांध के निर्माण की 60 प्रतिशत लागत को बांटने पर सहमत हुआ। डब्ल्यूआरडी ने बांध के निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया तथा इसके अतिरिक्त कम्पनी से आनुपातिक प्रभार भी प्रभारित किये।

हमारी सिफारिश है की कि कम्पनी द्वारा मामले को राज्य सरकार/ डब्ल्यूआरडी के पास उठाया जाना चाहिए तथा डब्ल्यूआरडी द्वारा वहन की जाने वाली बांध की लागत एवं आनुपातिक प्रभारों की भी वसूली करनी चाहिए।

कम्पनी, प्लाण्ट लोड फेक्टर; स्टेशन हीट रेट; सहायक उपभोग; स्थापना के बाद इकाइयों के अस्थिरीकरण के कारण संयंत्र उपलब्धता; फोर्स्ड आउटेज; तकनीकी समस्याओं; राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों के कारण संयंत्र के बैक डाउन इत्यादि के संबंध में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)/ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निश्चित किये गये परिचालनात्मक मापदण्डों की पालना नहीं कर सकी।

कम्पनी ने केएटीपीपी पर पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया। कम्पनी ने एमओईएफ द्वारा निर्धारित वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए केएटीपीपी पर उपकरण भी स्थापित नहीं किये। साथ ही, एमओईएफ द्वारा निर्धारित स्टेक एमिशन मानदण्डों की पालना भी नहीं की।

हमारी सिफारिश है की कि कम्पनी को पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए तथा केएटीपीपी पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए उपकरण स्थापित करने चाहिए। साथ ही, एमओईएफ द्वारा निर्धारित वायु प्रदुषण मानदण्डों, ध्वनि स्तरों एवं स्टेक एमिशन मानदण्डों की पालना करनी चाहिए।

कम्पनी ने ऋण की किश्तों के भुगतान में चूक की एवं इसे शास्ति ब्याज चुकाना पड़ा तथा यह पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन से छूट पाने से भी वंचित रही।

कम्पनी ने भारत सरकार की मेगा पॉवर परियोजना नीति के अन्तर्गत परिलाभ लेने की संभावनाएं तलाशने के प्रयास नहीं किये। इसने प्रवेश कर के भुगतान से राजस्थान सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए भी नहीं प्रयास किये।

हमारी सिफारिश है की कि कम्पनी को भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की नीतियों के अन्तर्गत परिलाभ लेने के लिए संभावनाएं तलाशनी चाहिए।